BCCI BULLETIN

Vol. 54 | November 2023 | No. 11

BIHAR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRIES

चैम्बर के पूर्व महामंत्री अमित मुखर्जी पंचतत्व में विलीन

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के पूर्व महामंत्री अमित मुखर्जी का निधन दिनांक 10 नवम्बर, 2023 को सुबह 400 बजे उनके आवास स्थानीय नागेश्वर कॉलोनी, पटना में हो गया। वे विगत कुछ माह से असाध्य रोग से पीड़ित थे। स्व. मुखर्जी के निधन का समाचार मिलते ही चैम्बर के वर्त्तमान एवं पूर्व पदाधिकारियों में श्री सुभाष कुमार पटवारी, श्री पी. के. अग्रवाल, श्री एन. के. ठाकुर, श्री मुकेश कुमार जैन, श्री विशाल टेकरीवाल, श्री आशीष शंकर, श्री सुबोध जैन, श्री पशुपति नाथ पाण्डेय उनके आवास पर गये और परिजनों को सांत्वना दी।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने स्व. मुखर्जी के निधन को चैम्बर के लिए अपूरणीय क्षति बताया और कहा कि वे पिछले कई दशकों से लगातार चैम्बर से जुड़े थे। चैम्बर के कार्यों में गहरी सक्रियता के आलोक में वर्ष 2017 में वे महामंत्री के पद पर निर्वाचित हुए और लगातार 30 सितम्बर, 2023 तक महामंत्री के पद को सुशोभित किया।

अपने कार्यकाल में राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों की समस्याओं के निदान हेतु स्व. मुखर्जी सतत् प्रयत्नशील रहे। 30 सितम्बर, 2023 को वार्षिक आम सभा में चैम्बर की ओर से चैम्बर में उनके उत्कृष्ट योगदान हेतु उन्हें लाइफ टाइम एचीवमेन्ट अवार्ड से सम्मनित किया गया था।

श्री पटवारी ने बताया कि स्व. मुखर्जी चैम्बर सहित अन्य सामाजिक एवं धार्मिक संस्थाओं से भी जुड़े थे और अपनी उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान की। उनका मिलनसार, विनम्र एवं मृदुभाषी व्यक्तित्व सभी को आकर्षित करने वाला था। चैम्बर द्वारा प्रकाशित HAND BOOK में उनका विशिष्ट योगदान था।

श्री पटवारी ने कहा कि स्व. अमित मुखर्जी का निधन राज्य के उद्योग एवं व्यापार के लिए अपूरणीय क्षति के साथ-साथ उनकी व्यक्तिगत क्षति भी है क्योंकि उन्होंने अपना एक प्रिय मित्र खो दिया है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को चिरस्थायी शान्ति प्रदान करें एवं शोक संतप्त परिजनों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें।

दिनांक 16 नवम्बर, 2023 की कार्यकारिणी समिति की बैठक में 2 मिनट का मौन रखकर स्व. अमित मुखर्जी के निधन पर शोक प्रकट किया गया और उनकी आत्मा की शांति एवं सद्गति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गयी।

यों तो स्व. मुखर्जी हमारे बीच नहीं रहे परन्तु चैम्बर में उनका योगदान स्वर्णाक्षरों में अंकित रहेगा और वे चैम्बर सदस्यों के दिल में बने रहेंगे।

विस अध्यक्ष बोले-बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे केंद्र, यह राज्य के विकास के लिए जरूरी है

बिहार विधान सभा के स्पीकर अवध बिहारी चौधरी ने कहा है कि केंद्र बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे। यह राज्य के विकास के लिए जरूरी है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कई बार मांग करने के बावजूद केंद्र नहीं सुन रहा। उसकी जिम्मेवारी और दायित्व है कि वो मुख्यमंत्री की मांग माने ।

शुक्रवार 10.11.2023 को विधानसभा के शीतकालीन सत्र के समापन पर स्पीकर संबोधित कर रहे थे। दरअसल उर्जा मंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने स्पीकर से विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग पर बोलने का आग्रह किया।

इसके बाद स्पीकर ने कहा कि मुख्यमंत्री अपने संसाधनों के बल पर राज्य का विकास कर रहे हैं, पर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा तो राज्य का और विकास होगा। **(साभार : दैनिक भास्कर, 11.11.2023)**

बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार पुरस्कृत

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार को पुरस्कार मिला है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने रविवार दिनांक 05.11.2023 को उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौन्डरिक और खाद्य प्रसंस्करण निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय को सम्मानित किया।

नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में चल रहे वर्ल्ड फूड इंडिया समारोह में राष्ट्रपति के हाथों दोनों अधिकारियों ने पुरस्कार ग्रहण किया। इस मौके पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना (पीएमएफएमई) में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार को यह पुरस्कार मिला है। कृषि प्रधान बिहार के उद्यमियों ने इस क्षेत्र में अच्छी-खासी रुचि दिखाई है।

पीएमएफएमई पोर्टल के अनुसार अब तक 35 हजार 736 आवेदन हुए हैं। इसमें से 2827 एक जिला एक उत्पाद के तहत जबकि अन्य योजनाओं के लिए 32 हजार 909 आवेदन हुए हैं।

भारत दुनिया की खाद्य टोकरी बनेगा : पारस

वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के समापन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने कहा कि हमारा उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में सामने रखना है। अंतरराष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष में इसे बढ़ावा दिया जाएगा। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 की सफलता एक प्रेरणा के रूप में काम करेगा। यह देश को एक मजबूत खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र बनाने में मार्गदर्शन करेगा।

उन्होंने कहा कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पर्याप्त संभावनाएं हैं। रालोजपा के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने बताया कि तीन दिवसीय समारोह में करीब 35 हजार करोड़ की राशि के एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 06.11.2023)

केंद्र का कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने पर जोर

केंद्र सरकार कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने के क्रम में आने वाले दिनों में जन विश्वास बिल का एक और चरण लेकर आ सकती है। भारतीय उद्योग परिसंघ यानि सीआईआई के कारोबारी सुगमता से जुड़े कार्यक्रम में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने ये जानकारी साझा की है। उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार कारोबारियों के हित के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही उन्होंने कारोबारियों नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम में हिस्सेदारी को लेकर कमजोर रुझान पर निराशा भी जाहिर की है।

वाणिज्य मंत्री ने कहा है कि मौजूदा दौर में आयरन एंड स्टील, एसईजेड जैसे कई क्षेत्र हैं जिन्हें बजट सीमित होने की वजह से रॉडटेप जैसी योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा है। **(साभार : हिन्दुस्तान, 09.11.2023)**

अध्यक्ष की कलम से.....

प्रिय बन्धुओं,

हमलोगों के लिए यह खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना (Pradhan Mantri Formalisa -tion of Micro Food Processing Enter-prises Scheme PMFME) में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार को पुरस्कृत किया गया है।

''बिहार को विशेष राज्य के दर्जे'' की मांग माननीय मुख्यमंत्री एक बार फिर केन्द्र सरकार से की है। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज लगातार केन्द्र सरकार से ''बिहार को विशेष राज्य का दर्जा'' देने की मांग करता रहा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलने से बिहार का आर्थिक, औद्योगिक एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में काफी विकास हो सकता है। अतः केन्द्र सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके, बिहार के हित में ''विशेष राज्य का दर्जा'' देना चाहिए।

मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को देश की इकोनामी का इंजन बनाने की कोशिशों के बावजूद गत 2 वर्षों में देश की 40,175 मैन्युफैक्चरिंग कम्पनियॉ बाजार से बाहर हो चुकी है। इसका खुलासा केन्द्र सरकार को मैन्युफैक्चरिंग कम्पनियों से मिलने वाले टैक्स के आंकड़ों से हुआ है। **यह एक सोचनीय विषय है। इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए एवं जिन कारणों से कम्पनियाँ बन्द हो रही है, उनका निराकरण करें।**

केन्द्रीय बजट के आंकड़ों के अनुसार कम्पनियों से मिलने वाले टैक्स में मैन्युफैक्चरिंग युनिट्स की हिस्सेदारी 17.2 प्रतिशत घटी है। वहीं इनसे मिलने वाला टैक्स 12.7 प्रतिशत कम हुआ है। सीएमआईई के अनुसार 2022–23 में अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग कम्पनियों की हिस्सेदारी 17.72 प्रतिशत रही जो 2019 में 18.29 थी।

उद्योग विभाग से उद्योगों को मिलने वाले Incentive के लिए प्रत्येक Quarter के समाप्त होने पर Claim फाइल करना होगा। यदि पहले का कोई Incentive बकाया रह गया हो तो संबंधित औद्योगिक इकाई को उद्योग विभाग को Claim या Request कर देना चाहिए जिससे उद्योग विभाग उसको Consider कर सके ।

मैन्युफैक्चरिंग इकाईयों को कोयला/फर्नेश आयल के बदले PNG से चलाने का निर्णय राज्य सकरार की ओर से लिया गया है। इस सम्बन्ध में माननीय उद्योग मंत्री, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग से अनुरोध किया गया है कि इकाइयों को PNG में बदलने में होने वाले कुल खर्च की 50 प्रतिशत राशि आर्थिक अनुदान के रूप में एवं 50 प्रतिशत राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाय। इसके अतिरिक्त PNG पर राज्य में लगने वाले VAT से Exempt किया जाए जिससे Product की Viability बनी रहे।

पटना स्थित वित्तीय भवन, फ्रेजर रोड के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम तल का कुल रकवा 16,032 वर्गफीट तथा एयरपोर्ट के नजदीक एयर कार्गो कम्पलेक्स कुल रकवा 1.85 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र पटना (शहरी) के रूप में नोटिफाई किया गया है। इसकी अधिसूचना इस बुलेटीन में भी प्रकाशित की गयी है।

वित्तीय वर्ष 2024–25 से बिहार में बिजली 4.38 प्रतिशत मंहगी हो सकती है। बिजली कम्पनियों की ओर से बिहार विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष इससे संबंधित अनुदान **रहित** याचिका सौंपी गयी है जिसमें कम्पनी ने फिक्सड चार्ज में कोई वृद्धि नहीं करने का प्रस्ताव दिया है। हॉलाकि विनियामक आयोग कम्पनी की याचिका पर मार्च में जन सुनवाई के बाद ही नयी दर तय करेगा। फिलहाल कम्पनी दो सौ करोड़ से अधिक फायदे में है। ऐसे में बिजली दर में वृद्धि नहीं होनी चाहिए। आप सभी बन्धु अपने स्तर से जन सुनवाई में भाग लेकर अपने सुझाव दें ताकि बिजली की दरों में बढ़ोत्तरी ना होने पाये।

श्री सुनील जीवराज जी सिंघी, चेयरमैन, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, भारत सरकार के साथ दिनांक 28 नवम्बर, 2023 को एक बैठक चैम्बर प्रांगण में हुई। उक्त बैठक की संक्षिप्त रिपोर्ट इस बुलेटिन में प्रकाशित है।

पूर्व मध्य रेल के नये महाप्रबन्धक श्री अनिल कुमार खंडेलवाल ने पदभार ग्रहण किया है। उनको बधाई देते हुए चैम्बर के सदस्यों के साथ बैठक के लिए अनुरोध किया गया है। बैठक की सूचना मिलते ही तत्काल आपको सूचित किया जायेगा।

EPFO एवं ESIC के मासिक अंशदान/रिटर्न भरने में नियोक्ताओं को हो रही असुविधा की शिकायत आयी थी। उस आलोक में Regional Head एवं Head Quarter के प्रमुख को पत्र लिखकर अनुरोध किया गया है कि सर्वर की क्षमता को बढ़ाया जाए क्योंकि मासिक अंशदान /रिटर्न भरने की समय सीमा है और यदि समय सीमा के अन्दर नहीं फाइल हुआ तो दंड के साथ जमा करना पड़ता है।

पटना से काठमांडू के लिए सीधी विमान सेवा प्रारम्भ करने का अनुरोध Civil Aviation Minister के साथ–साथ Airport Authority of India के वरीय पदाधिकारियों से किया गया है क्योंकि राज्य के व्यवसायियों के साथ–साथ काफी संख्या में अन्य लोगों का नेपाल आना–जाना होता है परन्तु सीधी सेवा नहीं होने से लोगों को काफी असुविधा होती है।

राज्य के हवाई यात्रा में करीब 36 प्रतिशत की वृद्धि एवं अगले 30 वर्षों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए Civil Aviation Minister के साथ–साथ Airport Authority of India को पत्र द्वारा अनुरोध किया गया है कि स्थल का चुनाव करके एक बड़े ग्रीन फील्ड अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का निर्माण पटना में कराया जाए।

आप सभी बन्धुओं से आग्रह है कि चैम्बर की बैठकों में सम्मिलित होकर संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ लें एवं अपने सुझावों से भी चैम्बर को अवगत कराते रहें।

सादर,

आपका
सुभाष कुमार पटवारी
अध्यक्ष

चेयरमैन, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, भारत सरकार के साथ चैम्बर की बैठक

कार्यक्रम को संबोधित करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी। उनकी बाँयी ओर क्रमशः श्री सुनील जीवराज जी सिंघी, चेयरमैन, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, श्री देवेश रस्तोगी, सदस्य, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, चैम्बर के महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन। दायीं ओर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज के प्रांगण में दिनांक 28 नवम्बर 2023 को सुनील जीवराज जी सिंघी, चेयरमैन, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, भारत सरकार के साथ बैठक हुई। उक्त बैठक में श्री देवेश रस्तोगी, सदस्य, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड भी उपस्थित थे।

चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी ने अपने स्वागत संबोधन में कहा कि मैं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के चेयरमैन श्री सुनील जीवराज जी सिंघी का विशेष रूप से स्वागत करता हूँ जिन्होंने अपने बहुमुल्य समय में से समय निकालकर आज हमारे बीच पधारने की कृपा की है। इसके लिए मैं राज्य के समस्त व्यवसायियों एवं अपनी ओर से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।

मैं राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य एवं फेडेरेशन ऑफ ऑल इंडिया आई. टी. एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री देवेश रस्तोगी जी का भी स्वागत करता हूँ जिनका आज के कार्यक्रम के आयोजन में काफी सहयोग मिला है ।

मित्रों, हम व्यवसायियों के लिए यह अति प्रसन्नता की बात है कि आजादी के बाद पहली बार मोदी सरकार ने देश के व्यवसायियों के हित में राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह बोर्ड अपने उद्देश्यों की पूर्ति में अवश्य सफल होगा। व्यवसायी निरन्तर ताउम्र सरकार के Tax Collector का कार्य करता है परन्तु यदि किसी कारणवश उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई तो उसका मदद करने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है बोर्ड में अवश्य इसका प्रावधान किया जाएगा कि यदि किसी व्यवसायी की स्थिति दयनीय हो गई है तो उसे आर्थिक सहयोग देकर पुनः खड़ा होने का अवसर दिया जाए । भारत सरकार की ओर से बोर्ड के गठन का उद्देश्य व्यापारियों एवं उनके कर्मचारियों के कल्याण के लिए नीतिगत उपायों की पहचान करना है साथ ही व्यापारियों पर लागू नियमों और कानूनों में सरलीकरण के सुझाव देना, उनके कंप्लायंस कॉस्ट घटाना, फंडिंग तक पहुँच बढ़ाना और सामाजिक सुरक्षा लाभों के बारें में सिफारिशें देना है।

मित्रों, आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि श्री सिंघी जी राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के अतिरिक्त राष्ट्रीय अल्पसंख्य आयोग, एफ.सी.आई अरावली जिप्सम एंड मिनरल इंडिया लिमिटेड, गुजरात, श्रमयोगी कल्याण बोर्ड, गुजरात, मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गुजरात सरकार मीडिया समिति से जुड़े होने के साथ-साथ ट्रस्टी श्री कल्याण जी परमानन्द जी पेढ़ी, श्री पावापुरी जीव मैत्रीधाम, श्री अखिल भारतीय युवक महासंघ एवं जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जैसे अनेक सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं से जुड़कर निरंतर सेवा प्रदान कर रहे हैं ।

बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की स्थापना 1926 में हुई थी और पिछले 97 वर्षों से निरन्तर राज्य के व्यापार एवं उद्योग के चतुर्दिक विकास हेतु प्रयासरत है तथा राज्य के व्यापारियों एवं उद्यमियों तथा सरकार के बीच एक सेतू की भूमिका का निर्वहण करता आ रहा है। अपने 97 वर्ष की अवधि में अनेकों सफलताओं-असफलताओं के बावजूद राज्य में एक अच्छे औद्योगिक एवं व्यापारिक वातावरण के सृजन के लिए चैम्बर निरन्तर प्रयासरत है। चैम्बर ने सदैव राज्य के व्यवसायियों एवं उद्यमियों के व्यापक हित को प्राथमिकता देते हुए उनके रक्षार्थ एक अग्रणी भूमिका निभायी है।

चैम्बर यह प्रयास भी सुनिश्चित करता रहा है कि व्यापारियों की उचित माँगें सरकार के स्तर पर सुनी जाए एवं उनके विचारों का राज्य की आर्थिक नीतियों के निर्माण में समावेश किया जाए।

महोदय, वैसे तो बिहार चैम्बर में आपकी यह पहली बैठक है इसलिए आपका केवल स्वागत होना चाहिए परन्तु अवसर का लाभ उठाना व्यवसायियों की आदत होती है इसलिए राज्य के व्यवसायियों से प्राप्त कुछ सुझावों से संबंधित एक ज्ञापन आपको समर्पित कर रहे हैं ।

महोदय, हमारा आपसे विशेष अनुरोध होगा कि देश के अन्य राज्यों और बिहार में काफी विविधता है। यह पूर्णरूपेण उपभोक्ता बहुल राज्य है, इसलिए यदि भारत सरकार की ओर से विशेष सहयोग नहीं किया गया तो अन्य राज्यों से पिछड़ता चला जाएगा। **इसलिए आपसे अनुरोध है कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड में चैम्बर का प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए जिससे कि बोर्ड की बैठकों में यहाँ के व्यवसायियों की समस्याओं से अवगत कराया जा सके।**

चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर ने श्री सिंघी जी को एक ज्ञापन समर्पित किया, जो निम्नानुसार है :

बिहार में व्यापार को सहज बनाने से संबंधित सुझाव

व्यापारियों पर लागू कानूनों को सरल बनाया जाए : व्यापार को सहज बनाने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसी नीतियाँ बनायी जानी चाहिए जो व्यापारियों एवं उनके कर्मचारी को लाभ पहुंचाने वाला हो। व्यपारियों पर लागू सख्त एवं जटिल कानूनों को सरल बनाया जाना चाहिए क्योंकि काफी संख्या में ऐसे व्यवसायी हैं जो कम पढ़े-लिखे हैं और अपने एवं अपने परिवार की जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय करने को विवश हैं। उनके लिए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु किसी प्रोफेशनल को रखना असंभव है। कानूनों के सरलीकरण से व्यापारियों पर अनावश्यक अनुपालन का बोझ कम होगा और वे निर्भय होकर अपने व्यवसाय पर ध्यान केन्द्रित करेंगे।

अतः सरकार को व्यापारियों पर लागू कानूनों के सरलीकरण की प्रक्रिया

श्री सुनील जीवराज जी सिंघी, चेयरमैन, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष कुमार पटवारी। साथ में श्री देवेश रस्तोगी, सदस्य, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड एवं श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, महामंत्री।

श्री देवेश रस्तोगी, सदस्य राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड को पुष्पगुच्छ भेंटकर स्वागत करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर। साथ में श्री सुनील जीवराज जी सिंघी, चेयरमैन, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड, चैम्बर महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय एवं कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन।

की दिशा में कदम उठाना चाहिए तथा सुदूर क्षेत्र में कम पढ़े-लिखे व्यवसायियों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे कि अधिकाधिक लोग व्यवसाय से जुड़े ताकि सरकार को अधिकाधिक राजस्व की प्राप्ति हो सके।

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) : जीएसटी में कई कर स्लैबों की शुरूआत ने व्यापारियों के लिए जीएसटी अनुपालन को जटिल बना दिया है, विशेषकर वैसे व्यवसायी जो विभिन्न प्रकार के वस्तुओं की बिक्री करते हैं, जिनका कर-दर भिन्न-भिन्न श्रेणी का हैं, उन्हें काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है। जीएसटी की दरों में बदलाव एवं उसके अनुपालन प्रक्रियाओं में नियमित बदलाव व्यवसायियों के लिए भ्रम एवं अनुपालन की चुनौतियाँ पैदा करती है। इससे व्यवसाय भी प्रभावित होता है।

अत: जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के कई प्रपत्रों और जटिल प्रक्रियाएं व्यवसायियों, विशेषकर छोटे एवं मध्यम व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बोझ में योगदान करता है। इस समस्या का कोई सहज एवं उपयुक्त निदान निकाला जाना चाहिए एवं व्यवसायियों को जीएसटी में आए नए परिवर्तन के कारण भ्रम पैदा करनेवाले गलतियों के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए।

व्यापारियों के लिए कल्याणकारी सामाजिक सुरक्षा योजना : व्यापारी सरकार को जीवन भर जीएसटी, आयकर एवं अन्य प्रकार के करों के रूप में बड़ी राशि का भुगतान करते हैं उसके बावजूद व्यापारियों के कल्याण के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा योजना नहीं है। वे वगैर किसी सुविधा, समर्थन के अपने जोखिम एवं सामर्थ्य पर व्यवसाय कर रहे हैं और उपर से सरकार द्वारा उन पर लगाए गए सभी प्रकार के करों का ससमय भुगतान कर रहे हैं ।

व्यापारी सरकार का कर-संग्रहकर्ता है और जीवन भर सरकार को जीएसटी, आयकर एवं अन्य प्रकार के करों का भुगतान करते हैं जो सरकार के लिए राजस्व सृजन का हिस्सा होता है परन्तु जब व्यवसायी व्यवसाय चलाने में असमर्थ हो जाते हैं या किन्हीं कारण से उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है वैसे समय में व्यापारियों के अस्तित्व पर खतरा बन जाता है क्योंकि उनके लिए सरकार की ओर से ऐसी कोई कल्याणकारी योजना नहीं है जो आर्थिक संकट की स्थिति में उन्हें वित्तीय सहायता पहुंचा सके।

सरकार की ओर से व्यापारियों के कल्याण हेतु सामाजिक सुरक्षा प्रारम्भ किया जाना चाहिए। सरकार की ओर से एक कोश बनाया जाना चाहिए जिसमें करदाताओं द्वारा भुगतान किए गए जीएसटी, आयकर एवं अन्य करों का कुछ प्रतिशत राशि उस कोश में जमा किया जाना चाहिए। उस फंड का उपयोग किसी भी वित्तीय संकट / वृद्धावस्था पेंशन विकलांगता या व्यापारियों की मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को उस कोश से सहयोग राशि देकर उन्हें मदद किया जाना चाहिए। व्यापार के लिए महामारी जैसी स्थिति में भी कोश से राशि का आवंटन किया जाना चाहिए।

व्यापारियों के लिए सुविधा केन्द्र : एक छोटा व्यवसाय एक ही व्यक्ति द्वारा स्थापित एवं प्रबंधित किया जाता है और उनके पास व्यवसाय के लिए सभी आवश्यक कौशल नहीं होते हैं। साथ ही धन की कमी के कारण किसी प्रोफेशनल को रखने में समर्थ नहीं होते हैं। ऐसी परिस्थिति में सुविधा केन्द्र के माध्यम से छोटे व्यापारियों को अपना व्यवसाय चलाने में आने वाली समस्याओं का समाधान की जानकारी देकर मदद किया जा सकता है।

सुविधा केन्द्र छोटे-छोटे व्यापारियों को कानूनी अनुपालन में भी मदद करके उनकी कठिनाई का हल निकाल सकता है।

बैंक सभी प्रकार के व्यवसाय के लिए ऋण देने को तैयार हैं लेकिन समस्या धन एवं ऋण की स्वीकृत करने की प्रक्रिया, नियम और शर्त्तों की है। सुविधा केन्द्र व्यापारियों को उनके व्यवसाय के लिए ऋण प्राप्त करने में मदद कर सकता है।

बिजली की समान दर : घरेलू उपभोक्ताओं पर लागू बिजली दर की तुलना में वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं की विद्युत दरें काफी अधिक है। पूरे देश में वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली की दर घरेलू उपभोक्ताओं के समान ही होनी चाहिए। One Nation One Tariff पर चर्चा चल रही है, अत: इसे पूरे देश में यथाशीघ्र लागू किया जाना चाहिए।

ई-कॉमर्स का खुदरा व्यापार पर प्रभाव : ई-कॉमर्स के कारण खुदरा व्यापार बहुत अधिक प्रभावित हुआ है। इसके लिए एक तंत्र विकसित किया जाना चाहिए जिससे कि खुदरा व्यवसायी ई-कॉमर्स से प्रतिस्पर्धा कर सकें।

पर्यावरण एवं प्रदूषण के संबंध में : पर्यावरण एवं प्रदूषण के रोज-रोज, नये-नये नियमों के कारण बहुत सारे उद्योग बन्द हो जाते हैं और उद्यमी बैंक का ऋण भी नहीं चुका पाते हैं। ऐसी परिस्थिति में उद्यमियों की स्थिति काफी दयनीय हो जाती है। अत: ऐसी स्थिति में वैसे उद्यमियों के आर्थिक नुकसान की भरपाई सरकार की ओर से की जानी चाहिए जिससे कि उद्यमी पुन: खड़ा होकर नया व्यवसाय कर सकें।

श्री जीवराज जी सिंघी, चेयरमैन, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड ने अपने संबोधन में कहा कि जिस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड का गठन हुआ है, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर एवं जिला स्तर पर व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन होगा, सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया गया है कि सारे एक्ट के कंप्लायंस के लिए वन विंडो सिस्टम लागु करें। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड ने बिहार सरकार को राज्य में राज्य बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। साथ ही राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड में बिहार का प्रतिनिधित्व नहीं होने पर व्यवसायियों द्वारा चिंता जताई गयी जिसके बाद चेयरमैन सुनील जीवराज जी सिंघी ने चैम्बर को आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड के सदस्य के रूप में बिहार को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा।

अध्यक्ष श्री सिंघी ने कहा कि व्यवसाईयों को हर मुकम्मल लाभ देने के लिए नई ट्रेड नीति के तहत वन विंडो सिस्टम लागू की जा रही है। व्यवसाईयों के लिए जो राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड बनाया गया है, उसमें व्यवसायियों से जुड़े सभी मंत्रालयों के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है ताकि सभी विभागों से संबंध स्थापित कर बोर्ड बेहतर परिणाम दे सके। उन्होंने बताया कि बोर्ड की ओर

श्री सुनील जीवराज जी सिंघी, चेयरमैन, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड को चैम्बर का मेमेंटो एवं हैंड बुक भेंट करते चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल। साथ में चैम्बर अध्यक्ष श्री सुभाष पटवारी एवं श्री देवेश रस्तोगी, सदस्य राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड।

श्री देवेश रस्तोगी, सदस्य, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड को चैम्बर का मेमेन्टो भेंट करते चैम्बर उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया। साथ में श्री सुनील जीवराज जी सिंघी, चेयरमैन, राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड एवं चैम्बर महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय।

से वे अब तक 21 राज्यों का दौरा कर चुके हैं और उन सभी राज्यों में बोर्ड स्थापित किया जा रहे हैं। बोर्ड को न सिर्फ राज्य स्तर पर बल्कि जिले स्तर पर भी जिलाधिकारी के नेतृत्व में जिला कमेटी बनाई जाएगी जो व्यवसाईयों की समस्या को समझ सके और निदान कर सके। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से जी-20 सम्मेलन के बाद 166 देश भारत के साथ व्यापार कर रहे हैं और देश का व्यापार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि ई-कॉमर्स के लिए देश की पॉलिसी लगभग बन चुकी है जिससे व्यवसाईयों को फायदा होगा और ई-कॉमर्स पर अंकुश लगेगा। उन्होंने जानकारी दी कि अब तक साढ़े तीन करोड़ लोग ई-कॉमर्स से जुड़े हुए हैं। श्री सिंघी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 60 प्लस के सभी व्यापारियों के लिए तीन हजार रूपये मासिक पेंशन लागु किया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेन्द्र मोदी व्यवसायियों को सभी सुविधाएँ, लाभ देना चाहते हैं और व्यापारियों के हितों की रक्षा, कल्याण, सुविधा देने की बात सोची है।

इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने कहा कि 25 से अधिक कानून हैं जिससे व्यवसायी परेशानी झेलते हैं। उन कानूनों को सरल बनाने की जरुरत है।

चैम्बर सदस्य श्री ए. के. पी. सिन्हा ने आयकर कम करने की मांग की। पाटलिपुत्र सर्राफा संघ के अध्यक्ष श्री बिनोद कुमार ने हथियारों के लाईसेंस देने में प्रशासन की कोताही खत्म करने की बात कही। श्री विवेक साह ने विभिन्न करों की परेशानी दूर करने की बात कही। श्री सुनील सराफ ने पुराने केसों को खत्म करने की बात कही और कहा कि नाजायज करने वाले अफसरों को भी दण्डित किया जाना चाहिए।

श्री रामाशंकर प्रसाद ने कहा कि जिस तरह विधान परिषद में स्नातक व शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सदस्य निर्वाचित होते हैं, वैसे ही उच्च सदन में व्यवसायी वर्ग से एक सदस्य को निर्वाचित किया जाना चाहिए। उन्होंने व्यवसायिक तौर पर पिछड़े बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की भी बात कही। इसके अतिरिक्त श्री आलोक पोद्दार, श्री पी. के. सिंह, श्री विकास कुमार सिंह, श्री अरुण कुमार, श्री गिरधर झुनझुनवाला, श्री अखिलेश कुमार, श्री एम. पी. बिदासरिया ने भी अपने सुझाव दिए।

कार्यक्रम के दौरान श्री सिंघी एवं श्री रस्तोगी को चैम्बर अध्यक्ष ने अंग वस्त्र से सम्मानित किया। पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल ने श्री सुनील जीवराज जी सिंघी को एवं उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया ने श्री देवेश रस्तोगी को चैम्बर का मेंमेंटो एवं हैण्ड बुक भेंट किया।

बैठक में चैम्बर के उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर एवं श्री प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष श्री सुबोध कुमार जैन, महामंत्री श्री पशुपति नाथ पाण्डेय, पूर्व अध्यक्ष श्री पी. के. अग्रवाल, श्री एन. के. ठाकुर, श्री मुकेश कुमार जैन, श्री विशाल टेकरीवाल, श्री पवन भगत, श्री अजय गुप्ता, श्री राजेश जैन, श्री नवीन गुप्ता, श्री राकेश कुमार, श्री ए. के. पी. सिन्हा, श्री विवेक साह, श्री सुनील सराफ, श्री मुकेश कुमार के साथ-साथ बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यापारी उपस्थित थे। चैम्बर के महामंत्री पशुपति नाथ पाण्डेय के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात कार्यक्रम संपन्न हुआ।

Inflation vulnerable to food price shocks, says RBI guv

India's inflation remains vulnerable to "Recurring and Overlapping" food price shocks, central bank governor Shaktikanta Das said, indicating policymakers will remain vigilant as onion costs continue to rise.

While inflation is "on a path of moderation," it remains above the Reserve Bank of India's 4% target, Das said in a speech hosted by the Tokyo Chamber of Commerce and Industry on 9th November, 2023.

Monetary Policy "Remains watchful and actively disinflationary to progressively align inflation to the target," he said.

However, food prices, which make up about half of the inflation basket, remain a risk, threatening the overall picture. The RBI hiked interest rates several times this year to curb inflation, but has left rates unchanged for four policy meetings now.

Average prices of onions, a key ingredient in an Indian meal, jumped more than 60% last month, according to government data. Authorities recently imposed export curbs to boost domestic supplies and curb costs.

"If food prices rise higher in November than we currently anticipate, then CPI inflation could rise close to 6% once again," the bank said in a report on 9-11-2023. Under that scenario, the bank then expects greater disinflation from December through February, it said.

Das said domestic demand remains strong in Asia's third largest economy and is helping provide a cushion against external shocks. The central bank expects growth of 6.5% in the fiscal year ending in March 2024. **(Details: Times of India, 10.11.20123)**

परियोजनाओं के कार्यान्वयन में अग्रणी बना बिहार

बिहार में वर्ष 2018-19 और 2022-23 के बीच 76,437 करोड़ रुपये की नई निवेश परियोजनाएं आयीं और 38,057 करोड रुपये की लंबित परियोजनाओं को पुनर्जीवित किया गया, जिससे वह परियोजनाओं के कार्यों में तेजी वाले अग्रणी राज्यों में से एक बन गया है।

सूक्ष्म और लघु इकाई निर्यात संवर्धन परिषद और कन्फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूसर्स एंड मार्केटिंग एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से किये गये

चैम्बर उपाध्यक्ष बिहार रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (BREDA) द्वारा आयोजित कार्यशाला "State Energy Action Plan for Bihar में शामिल हुए

बिहार रिन्युएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (BREDA) की ओर से Final Validation Workshop for "State Energy Efficiency Action Plan for Bihar" का आयोजन होटल मौर्या, पटना में दिनांक 3 नवम्बर, 2023 को हुआ। इस कार्यशाला में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से उपाध्यक्ष श्री प्रदीप चौरसिया शामिल हुए।

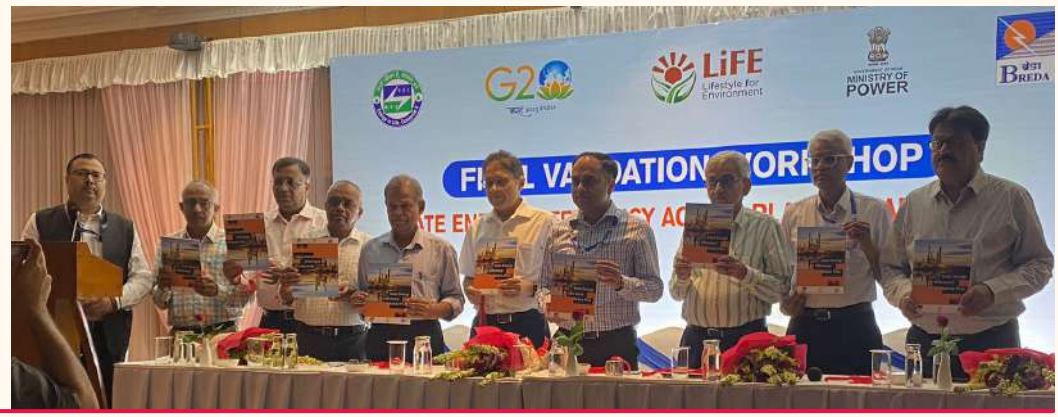

एक अध्ययन में यह बात सामने आई है। एमएसएमई ईपीसी के अध्यक्ष डॉ. डी. एस. रावत ने दिनांक 6.11.2023 को यह अध्ययन जारी करते हुए कहा कि राज्य ने 77,136 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी कर ली हैं और वर्ष 2022-23 में 3,17,677 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। नये निवेश के चलते राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम क्षेत्र को मजबूती मिलने का दावा किया गया है जो रोजगार सृजन के मामले में कृषि के बाद दूसरे स्थान पर है। अभी अनुमान लगाया गया है कि बिहार में लगभग 40 लाख एमएसई है, जो देश में छठा स्थान है।

डॉ. रावत ने कहा, एमएसएमई कुल उद्योगों का लगभग 95 फीसद हिस्सा है और यह 4700 से अधिक मूल्य वर्धित उत्पादों का उत्पादन करता है।

यह देखा गया है कि निजी क्षेत्र में रोजगार के प्रचुर अवसर और उपभोक्तावाद में उच्च वृद्धि के कारण एमएसएमई ने बुनियादी ढांचे में तेजी से निवेश आकर्षित किया है। यह क्षेत्र औद्योगिक इकाइयों के एक बड़े हिस्से को ध्यान में रखते हुए निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं, ठेकेदारों और सेवा प्रदाता के रूप में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मूल्य श्रृंखला को लगातार पोषण प्रदान करता है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी (सीएमआईई) के आंकड़ों के अनुसार, के राज्य ने वर्ष 2022-2023 के दौरान 22,667 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी कीं।

इसके अलावा वित्त वर्ष 2021-22 में 15,492 करोड़ और वर्ष 2020-21 में 25,395 करोड़ रुपये की परियोजनाएं पूरी की। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन, स्टार्ट-अप और कृषि-उद्यमिता को बढ़ावा देने में मदद मिली है। इसके अलावा, सरकार की अत्यधिक एमएसएमई उन्मुख नीतियों के कारण उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर विनिर्माण और सेवा क्षेत्र दोनों में उद्यमों की क्षमता बनाने और बढ़ाने की भारी विकास क्षमता है। आमतौर पर एमएसएमई क्षेत्र कई बाधाओं और चुनौतियों का सामना करता है। जैसे खरीदारों से विलंबित भुगतान, समय पर किफायती ऋण की उपलब्धता, प्रौद्योगिकी, बुनियादी ढांचे में तेजी से बदलाव, विभिन्न योजनाओं और उपलब्ध लाभों बारे में जानकारी की कमी और व्यावसायिकता की कमी। राज्य की अर्थव्यवस्था वर्ष 2022-23 में 10.98 फीसद सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) के साथ भारत में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, जो इसी अवधि के दौरान 8.68 फीसद की राष्ट्रीय विकास दर से काफी ऊपर है।

अध्ययन में पाया गया कि राज्य में जैविक खाद्य उद्योग तेजी से बढ़ रहा है, जिससे किसानों को उच्च लाभप्रदता सुनिश्चित हो रही है। अभी जैविक मिशन की देखरेख में विभिन्न जिलों में 17507.363 एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती की जा रही है। इस योजना के तहत किसानों को पहले वर्ष में प्रति एकड़ 11500 रुपये तथा दूसरे एवं तीसरे वर्ष में 6500- 6500 रुपये प्रति एकड़ का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 07.11.2023)**

गलत तरीके से बीमा पॉलिसी लेने पर सिबिल स्कोर खराब होगा

गलत तरीके से बीमा पॉलिसी लेने वालों का सिबिल स्कोर अब खराब हो सकता है। सरकार बैंकों और अन्य वित्तीय क्षेत्रों की तर्ज सामान्य बीमा क्षेत्र के लिए भी सिबिल स्कोर लागू करने की तैयारी कर रही है। फर्जी दावों के बढ़ते मामलों को देखते हुए बीमा कंपनियां इसकी लंबे समय से मांग कर रही हैं।

हाल ही में केंद्र सरकार के वित्तीय सेवा विभाग के साथ बीमा कंपनियों ने प्रतिनिधियों ने उच्चस्तरीय बैठक की थी। बताया जा रहा है कि इसमें वाहन और जीवन समेत अन्य बीमा पॉलिसी के लिए सिबिल स्कोर वाला मॉडल लाने पर चर्चा हुई। बीमा कंपनियों का कहना है कि है इसके लागू होने से बीमा दावों के निपटारों के साथ ही कंपनी की कार्यक्षमता भी बढ़ेगी।

ऐसी होगी नई व्यवस्था : अभी तक गलत तरीके से बीमा पॉलिसी लेने पर संबंधित ग्राहक पर बड़ी कार्रवाई नहीं हो पाती है। इस क्षेत्र में सिबिल स्कोर लागू होने पर सभी बीमा कंपनियों के पास उस ग्राहक का पूरा ब्योरा उपलब्ध रहेगा। कंपनी उस ग्राहक को प्रतिबंधित भी कर सकती है या पूरी छानबीन के बाद ऊंचे प्रीमियम और कड़ी शर्तों पर बीमा जारी कर सकती है।

कितना स्कोर प्रभावी : अभी बैंकिंग क्षेत्र में 750 से 900 सिबिल स्कोर को सबसे अच्छा माना जाता है। 900 के करीब जितना सिबिल स्कोर रहता है, बैंक उतनी आसानी से कर्ज दे देते हैं। 350 सिबिल स्कोर को खराब माना जाता है। माना जा रहा है कि बीमा क्षेत्र के लिए भी यही व्यवस्था लागू हो सकती है। फर्जी बीमा दावों को रोकना बहुत जरूरी है, जिससे सभी को फायदा होगा।

क्या होता है सिबिल स्कोर : सिबिल स्कोर अभी बैंकिंग क्षेत्र में इस्तेमाल होता है। यह वह पैमाना है, जो यह बताता है कि कोई ग्राहक समय पर कर्ज चुकाने में कितना सक्षम है। समय पर कर्ज चुकाने पर सिबिल स्कोर अच्छा रहता है। वहीं, कर्ज को समय पर नहीं चुकाने या ईएमआई भरने में देरी होने पर सिबिल स्कोर खराब हो जाता है।

यह स्कोर सभी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ साझा किया जाता है। इससे बैंक संबंधित ग्राहक को आगे कर्ज देने में हिचकते हैं। ग्राहक को परेशानी का सामना करना पड़ता है। **(साभार : दैनिक भास्कर, 11.11.2023)**

कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों का बोझ कंपनियाँ खुद वहन करेंगी

पेट्रोल-डीजल के दाम नहीं बढ़ाएँगी तेल कंपनियाँ

इजरायल-हमास युद्ध के कारण कच्चे तेल की कीमतों में अस्थिरता के बावजूद देश में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी के आसार नहीं हैं। मामले से जुड़े दो जानकारों का कहना है कि यदि कच्चे तेल के दाम बढ़ते हैं तो तेल विपणन कंपनियाँ (ओएमसी) फिलहाल इसका बोझ लोगों पर नहीं डालेंगी और खुद उच्च लागत को वहन करेंगी। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 7.11.2023)**

चैम्बर उपाध्यक्ष बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक में शामिल हुए

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) के परियोजना समाशोधन समिति (PCC) की बैठक दिनांक 7 नवम्बर, 2023 को श्री संदीप पौण्ड्रीक, भा.प्र.से., अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में विभागीय सभाकक्ष में हुई। इस बैठक में बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज की ओर से उपाध्यक्ष श्री आशीष शंकर सम्मिलित हुए।

एसी, एलईडी लाइट के लिए वित्तीय प्रोत्साहन जल्द

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) के सचिव राजेश कुमार सिंह ने कहा कि सरकार घरों में उपयोग होने वाले एयर कंडीशनर जैसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों (व्हाइट गुड्स) के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना के तहत वित्तीय प्रोत्साहन चौथी तिमाही से देना शुरू कर सकती है। कुछ कंपनियों ने इन वस्तुओं का उत्पादन शुरू किया है। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट उपकरणों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है। सिंह ने यहां भारत-दक्षिण कोरिया व्यापार भागीदारी मंच की बैठक के दौरान कहा कि अंतिम तिमाही (जनवरी-मार्च) में हम पीएलआई के तहत कुछ वित्तीय प्रोत्साहन के वितरण की उम्मीद कर रहे हैं। पीएलआई के तहत 64 लाभार्थी इकाइयों में से 15 ने उत्पादन शुरू कर दिया है।

भारत के चिप क्षेत्र में बड़े अवसर : उन्होंने सेमीकंडक्टर विनिर्माण पर कहा कि सरकार निजी क्षेत्र को आगे आने और भारत में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अवसरों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। इससे पहले, सिंह ने बैठक में अपने संबोधन में कहा कि 10 अरब डॉलर की सेमीकंडक्टर विनिर्माण योजना में दक्षिण कोरियाई कंपनियों के लिए भारत में बड़े अवसर हैं। दक्षिण कोरिया 17 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर विनिर्माता है। साथ ही मेमोरी चिप्स और डिस्प्ले में अगुवा है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 08.11.2023)

मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाए जाएंगे 12 नए क्षेत्र

सरकार ने नीति आयोग को सौंपी नए क्षेत्रों का चयन करने की जिम्मेदारी

मैन्यूफैक्चरिंग को सरकार अगले 14 चरण में ले जाना चाहती है और इस काम की जिम्मेदारी नीति आयोग को सौंपी गई है। नीति आयोग फिलहाल उन सेक्टर की पहचान करने में जुट गया है जिनमें भारत को वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाया जा सकता है। कम से कम 12 सेक्टर की पहचान की जाएगी और इस दिशा में काम भी शुरू हो गया है। वर्ष 2020 में मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआइ) स्कीम की शुरूआत की गई थी। अब तक सरकार 14 सेक्टर में पीएलआइ स्कीम की घोषणा कर चुकी हैं। इलेक्ट्रानिक्स, फार्मा जैसे सेक्टर में पीएलआइ स्कीम के सकारात्मक परिणाम भी दिखने लगे हैं। बाकी के कई सेक्टर में अभी उत्पादन शुरू होना बाकी है।

नीति आयोग सूत्रों के मुताबिक, औद्योगिक मैन्यूफैक्चरिंग के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइड्रोजन, बैटरी, सेमीकंडक्टर जैसी वस्तुओं की मांग आने वाले समय में तेजी से बढ़ने वाली है। आयोग इन बदलाव को ध्यान में रखते हुए उन सेक्टर का चुनाव करेगा, जिनमें भारत को वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग का हब बनाया जा सकता है। इसके अलावा वर्तमान में भारतीय मैन्यूफैक्चरिंग की समीक्षा की जाएगी और फिर उनमें से वैश्विक हब बनने की क्षमता रखने वाले सेक्टर की पहचान की जाएगी। संभावित 12 सेक्टर में शामिल करने से पहले भविष्य में उसकी वैश्विक मांग, उनके उत्पादन के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर क्षमता जैसी चीजों की भी समीक्षा की जाएगी।

चार महीने में तैयार कर ली जाएगी रणनीति : आयोग के मुताबिक, वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सिर्फ सेक्टर की पहचान ही नहीं की जाएगी बल्कि इस काम के लिए ट्रांसपोर्टेशन, लाजिस्टिक, बिजली आपूर्ति व डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराने की तैयारी की जाएगी। इस काम के लिए आयोग सरकार को नीति बनाने से लेकर टैक्स में छूट जैसी बातों के लिए भी सुझाव देगा। अगले चार माह में भारत को कम से कम 12 सेक्टर में वैश्विक मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने की रणनीति तैयार कर ली जाएगी। अभी पीएलआइ स्कीम में कई ऐसे भी सेक्टर है जिनके तहत मैन्यूफैक्चरर्स बहुत अधिक दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इससे उन सेक्टर में उत्पादन शुरू होने में विलंब हो रहा है। नीति आयोग की रणनीति में इन सब कारणों का भी ध्यान रखा जाएगा।

(साभार : दैनिक जागरण, 08.11.2023)

सभी के वहन करने लायक हों बिजली की दरें

केंद्रीय बिजली मंत्री आर. के. सिंह ने कहा -
राज्य जो चाहें सब्सिडी दें, लेकिन उन्हें भुगतान करना होगा

2.50 लाख मेगावाट तक पहुंच सकती है अगले वर्ष बिजली की माँग • 2.41 लाख मेगावाट को पार कर गई बिजली की मांग सितंबर में • बढ़ती मांग को देखते हुए राज्यों से कोयले का भंडारण बढ़ाने को कहा गया • सिर्फ घरेलू कोयला से पूरी नहीं की जा सकती बिजली की मांग, आयात भी बढ़ाना होगा

केंद्रीय बिजली मंत्री आर. के. सिंह ने कहा है कि राज्य बिजली दरें तय करते समय इस बात का ध्यान रखें कि उसे सभी वहन कर सकें। राज्यों के बिजली मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि समय पर बिजली शुल्क तय करने का मतलब यह है कि हर वर्ष मार्च में अगले वित्त वर्ष के लिए बिजली की दरें तय हो जाए। बिजली सब्सिडी पर केंद्र सरकार का रुख स्पष्ट करते हुए आर. के. सिंह ने कहा कि राज्य जो चाहें सब्सिडी दे सकते हैं, लेकिन इसका भुगतान उन्हें करना होगा। बिजली मंत्री की बात चुनावी राज्यों में कितनी अमल में आएगी यह तो बाद में पता चलेगा लेकिन यह सच है कि कई प्रदेशों में समय पर बिजली की दरें तय नहीं हो रही हैं।

"राज्य यह सुनिश्चित करें कि मार्च 2024 से पहले उनकी बिजली परियोजनाएं अपनी क्षमता का 85 प्रतिशत उत्पादन करें। साथ ही वह पारंपरिक और अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों (सौर, पवन, बायोगैस आदि) से बिजली बनाने की क्षमता को बढ़ाने को लेकर तेजी से काम करें।"

– आर. के. सिंह, केंद्रीय बिजली मंत्री

सौर ऊर्जा से पूरा करें कृषि सेक्टर की मांग : कृषि सेक्टर की अधिकांश मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने को भी कहा गया है ताकि ताप बिजली घरों की बिजली को पीक आवर के लिए बचाकर रखा जा सके। बिजली मंत्री आर. के. सिंह ने कहा कि अभी जो भारत है वह बिजली की कटौती को सहन नहीं कर सकता है।

बिजली स्टोरेज पर ध्यान दें राज्य : राज्यों से यह भी कहा गया है कि वे बिजली सेक्टर में हो रहे बदलाव को देखते हुए अपने स्तर पर एक समिति का गठन करें। समिति के सुझावों के आधार पर पारंपरिक बिजली सेक्टर से अपारंपरिक बिजली सेक्टर में जाने का रोडमैप तैयार किया जा सकता है। राज्यों को बिजली स्टोरेज पर खासतौर पर ध्यान देने को कहा गया है।

(विस्तृत : दैनिक जागरण, 09.11.2023)

पटना स्थित वित्तीय भवन, फ्रेजर रोड के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम तल कुल रकवा 16,032 वर्ग फीट तथा एयरपोर्ट के नजदीक एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स का कुल रकवा 1985 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र पटना (शहरी) के रूप में Notify किया गया है।

उक्त संबंध में उद्योग विभाग, बिहार द्वारा जारी गजट अधिसूचना संख्या- 6539 दिनांक 10 नवम्बर 2023 की प्रति माननीय सदस्यों की सूचनार्थ उद्धृत है:-

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 कार्तिक 1945 (श.)
(सं. पटना 961) पटना, सोमवार, 13 नवम्बर 2023

उद्योग विभाग
अधिसूचना
10 नवम्बर 2023

सं0 5/स० बियाडा (औद्योगिक क्षेत्र) - 09 / 2022-6539-बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 की धारा 2 (च) धारा 4 (क) (i) एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रदत शक्तियों द्वारा कार्यकारी निदेशक (संचालन), बियाडा, पटना के पत्रांक 6936 / Estt. दिनांक 02.11. 2023 द्वारा अनुशंसित वित्तीय भवन, फ्रेजर रोड, पटना के तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम तल कुल रकवा 16,032 वर्गफीट तथा एयरपोर्ट के नजदीक एयर कार्गो कम्पलेक्स कुल रकवा 1.85 एकड़ भूमि को औद्योगिक क्षेत्र, पटना (शहरी) के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
दिलीप कुमार
सरकार के विशेष सचिव

कोरोना के दौरान रद उड़ानों के पैसे इसी माह लौटाने होंगे

कोरोना के दौरान रद उड़ानों के पैसे नहीं लौटाने वाली एजेंसियों पर केंद्र ने सख्ती शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने बुधवार 08.11.2023 को उपभोक्ता हित को प्रभावित करने वाले आनलाइन ट्रैवल संचालकों (एग्रीगेटर्स) के साथ बैठक की और उन्हें नवंबर के तीसरे हफ्ते तक लंबित रिफंड का भुगतान करने का निर्देश दिया। शिकायतों के समाधान के लिए एयरलाइंस के साथ उपभोक्ता हेल्पलाइन मिलकर काम करेगी।

उपभोक्ता मामलों के विभाग के सचिव रोहित कुमार सिंह ने बताया कि बैठक में मेकमाईट्रिप, यात्रा एवं क्लियर ट्रिप आदि प्रमुख एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ कुछ सक्रिय उपभोक्ताओं ने भाग लिया।

(साभार : दैनिक जागरण, 09.11.2023)

ओडिशा के दर्लिपाली सुपर थर्मल पावर प्लांट से 150 मेगावाट सस्ती बिजली लेगा बिहार

ओडिशा के दर्लिपाली सुपर थर्मल पावर प्लांट के दूसरे स्टेज में तैयार हो रही 800 मेगावाट की पहली यूनिट से बिहार की बिजली आपूर्ति कंपनियां 150 मेगावाट बिजली लेगी. यह बिजली एनटीपीसी के दूसरे प्लांटों के मुकाबले सस्ती होगी और 3.38 रुपये प्रति किलोवाट आवर (केडब्लूएच) की दर से उपलब्ध होगी. बिहार की बिजली आपूर्ति कंपनियों ने इस दर से बिजली खरीद को लेकर बिहार विद्युत विनियामक आयोग से अनुमति मांगी है. अनुमति मिलने पर एनटीपीसी और बिजली कंपनियों के बीच निर्धारित दर पर लंबी अवधि तक बिजली आपूर्ति के लिए अनुबंध की प्रक्रिया पूरी की जायेगी.

दर्लिपाली से फिलहाल 190 मेगावाट मिल रही बिजली : दर्लिपाली थर्मल पावर प्लांट के पहले स्टेज से बिहार को फिलहाल 190 मेगावाट बिजली मिल रही है. इसमें 102 मेगावाट साउथ बिहार बिजली आपूर्ति कंपनी जबकि 88 मेगावाट नॉर्थ बिहार बिजली आपूर्ति कंपनी उठा रही है. एनटीपीसी के मुताबिक 1600 मेगावाट के इस प्लांट से वर्तमान में बिहार का कुल कोटा 323 मेगावाट का है. दूसरे स्टेज में 800 मेगावाट बिजली उत्पादन प्लांट निर्माणाधीन है.

बरौनी की 220 मेगावाट बिजली सरेंडर की तैयारी : वहीं, फरक्का और कहलगांव के बाद बिहार सरकार अब बरौनी के दो यूनिटों से मिलने वाली 220 मेगावाट बिजली को सरेंडर करने की तैयारी कर रही है. यह दोनों यूनिट 110- 110 मेगावाट की है और 25 साल से अधिक पुरानी हैं. दोनों यूनिटों की बिजली सरेंडर किये जाने को लेकर राज्य सरकार, ऊर्जा विभाग और भारत सरकार के बीच पत्राचार चल रहा है. हालांकि बरौनी थर्मल पावर स्टेशन में बनने वाली दूसरी इकाइयों में बिहार का बिजली कोटा बरकरार रहेगा।

(साभार : प्रभात खबर, 09.11.2023)

बिजली की बढ़ती मांग से ग्रिड को बचाने की तैयारी

केंद्रीय बिजली नियामक आयोग (सीईआरसी) ने एक प्रपत्र जारी कर पीक आवर में आपूर्ति बाधित होने पर उसका किस तरह से सामना किया जाए, इसका रोडमैप सुझाया है। देश में अभी आपातकालीन हालात के लिए बिजली रिजर्व की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। एक सुझाव यह है कि आपातकालीन स्थिति में गैस आधारित बिजली परियोजनाओं को शुरू करने की व्यवस्था होनी चाहिए और इसके लिए हमें किसी भी कीमत पर बाहर से गैस की खरीद सुनिश्चित करनी चाहिए। रिपोर्ट के मुताबिक गैस आधारित बिजली परियोजनाओं से हम देश में बिजली संकट पैदा होने की स्थिति का सामना कर सकते हैं।

एक सितंबर को देश में पीक आवर में बिजली की मांग 2.41 लाख मेगावाट को पार कर गई थी, जो पिछले साल के मुकाबले 23 प्रतिशत ज्यादा है। इस प्रपत्र से पहले 11 जुलाई, 2023 को सीईआरसी ने एक नियम लागू किया था, जिसमें देश की ग्रिड की स्थिरता को बनाए रखने के लिए बिजली आपूर्ति का रिजर्व स्थापित करने की जरूरत बताई गई थी और इसके लिए आपरेटिंग कोड बनाया गया था । प्रपत्र के मुताबिक नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर (एनएलडीसी) की तरफ से यह बताया गया है कि पीक आवर के समय देश के पास कोई अतिरिक्त बिजली क्षमता नहीं होती है, यानी इससे ज्यादा मांग होने पर समस्या पैदा हो सकती है। इस प्रपत्र में बैट्री में बिजली को रिजर्व रखने के विकल्प को आजमाने का भी सुझाव दिया गया है। एक विकल्प यह सुझाया गया है कि सबसे ज्यादा बिजली की मांग के दौरान गैस आधारित बिजली संयंत्रों को 16 घंटे 50 प्रतिशत क्षमता पर और आठ घंटे पूरी क्षमता पर चलाया जाए।

(साभार : दैनिक जागरण, 08.11.2023)

यूट्यूब वीडियो से अब स्क्रीनशॉट कैप्चर कर सकेंगे

गूगल क्रोम और माइक्रोसॉफ्ट एज उपयोगकर्ता जल्द ही मूल रिजॉल्यूशन और पीएनजी प्रारूप में यूट्यूब वीडियो से फ्रेम सेव (वीडियो का स्क्रीनशॉट कैप्चर) कर सकेंगे। यह नया फीचर माइक्रोसॉफ्ट एज कैनरी बिल्ड में

भी जोड़ा गया है।

इसके अलावा यूट्यूब एक नए एआई चैटबॉट का परीक्षण कर रहा है जो प्लेबैक में बाधा डाले बिना देखे जा रहे वीडियो के बारे में सवालों के जवाब, संबंधित सामग्री के लिए सिफारिशें और बहुत कुछ सुविधाएं प्रदान करेगा।

(साभार : हिन्दुस्तान, 15.11.2023)

लंदन के वर्ल्ड ट्रैवेल मार्केट शो में पहुंचा बिहार पर्यटन

ब्रिटेन की राजधानी लंदन के वर्ल्ड ट्रैवेल मार्केट (डब्ल्यूटीएम) शो में बिहार पर्यटन भी भाग ले रहा है। 6-8 नवंबर तक आयोजित हो रहे वर्ल्ड ट्रैवेल मार्केट में अतुल्य भारत पैवेलियन का उद्घाटन लंदन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी, भारत पर्यटन मंत्रालय के सचिव वी विद्यावति और बिहार के पर्यटन सचिव अभय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से किया। इस शो के बहाने लंदन में रह रहे बौद्ध, सिख और जैन समुदाय के लोगों के बीच विस्तार से सभी पर्यटन सर्किट के बारे में बताया जा रहा है। बिहार से पर्यटन सचिव के अलावा निदेशक विनय कुमार राय और बिहार राज्य टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के महाप्रबंधक अभिजीत कुमार की एक टीम लंदन में है। सचिव अभय कुमार सिंह ने बिहार पैवेलियन में जुटे पर्यटकों को बताया कि बिहार में रामायण सर्किट, सूफी सर्किट, बौद्ध सर्किट, जैन सर्किट के साथ हेरिटेज कल्चर और ईको टूरिज्म से जुड़े स्थल आपका इंतजार कर रहे हैं। पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं का निर्माण हो रहा है।

ट्रैवल मार्केट की शुरुआत 1980 में की गई थी : पर्यटन निदेशक विनय कुमार राय और जीएम अभिजीत कुमार ने कहा कि वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट की शुरूआत लंदन में 1980 में की गई थी। यह पर्यटन क्षेत्र के ग्लोबल मार्केट से जुड़े पर्यटकों और प्रोफेशनलों के साथ ही इससे संबंधित क्षेत्रों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए एक साझा मंच है। यह प्लेटफार्म पर्यटन पेशेवरों के लिए इनोवेशन, सोर्सिंग एवं बेंचमार्किंग का काम करता है। बिहार पर्यटन की टीम अगले 8 नवंबर तक डब्लूटीएम में पर्यटकों को बिहार भ्रमण करने के लिए आकर्षित करेगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 07.11.2023)

सभी जिलों में वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा उपलब्ध होगी

सभी जिलों में वाहन स्क्रैपिंग की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग ने इसकी तैयारी कर ली है। इसके लिए विशेषज्ञों की सेवा भी ली जाएगी। भारत सरकार के सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की यान स्क्रैपिंग सुविधा के निर्णय को राज्य सरकार ने भी यथास्थिति बिहार में लागू किया है।

इसके लिए राज्य परिवहन आयुक्त को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार घोषित किया गया है। इस संबंध में पिछले दिनों परिवहन विभाग की रजिस्टर्ड यान स्क्रैपिंग की सुविधा देने की पहल परिवहन विभाग ने आम सूचना भी जारी की थी। विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी के अनुसार पर्यावरण के बचाव, कबाड़ वाहनों के स्क्रैप को प्रोत्साहित करने एवं लोकहित को देखते हुए संपूर्ण बिहार के तमाम जिलों में रजिस्ट्रीकृत यान स्क्रैपिंग सुविधा की स्थापना का निर्णय लिया गया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 11.11.2023)

10 महीने में 34 करोड़ का चालान, फिर भी हादसे

राजधानी में तीसरी आंख की निगरानी और यातायात पुलिस की कार्रवाई के बावजूद सड़क हादसे में कमी नहीं आ रही है। बीते 10 महीने में यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने वाले वाहनों पर 34 करोड़ रुपये का चालान किया, फिर भी दुर्घटनाओं में लोगों की जान जा रही है। पटना में वर्ष 2022 के मुकाबले वर्ष 2023 में जनवरी से अक्टूबर तक ज्यादा सड़क हादसे हुए। इनमें मृतक और घायलों की संख्या भी ज्यादा है। हाल के दिनों में बने अटल पथ, जेपी गंगा पथ (मरीन ड्राइव), बाईपास सहित राजधानी के एक्सप्रेस वे पर युवा अंधाधुंध रफ्तार में गाड़ियां चला रहे हैं। इसकी वजह से इन जगहों पर आए दिन सड़क दुर्घटना में लोगों की असमय जान जा रही है, दर्जनों लोग घायल भी हो रहे हैं।

दरअसल, यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए शहर की सड़कों पर स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत सीसीटीवी कैमरे लगए गए हैं। गत छह महीने से सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से वाहन चालकों का रिकार्ड संख्या में चालान किया जा रहा है। ट्रैफिक एसपी पूरन कुमार झा ने बताया कि यातायात पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। यही कारण है कि अक्टूबर में पटना में इस वर्ष सबसे कम दुर्घटना हुई। यातायात पुलिस जल्द जागरूकता यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए अभियान चलाएगी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 07.11.2023)

एनएच पर दुर्घटनाएं कम करने को सुधारे जाएंगे ब्लैक स्पॉट

सड़क दुर्घटनाओं को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जारी रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच) पर सड़क दुर्घटना का प्रतिशत 78.4 और इसमें मृत्यु दर 77 फीसदी है। इस चिंताजनक स्थिति को सुधारने के लिए राज्य ट्रैफिक पुलिस एवं गृह विभाग एनएचएआई (नेशनल हाईवे ऑथिरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड) के साथ मिलकर ठोस और कारगर कार्य योजना तैयार करेगी।

तत्काल सुधार के लिए फिलहाल दो मुख्य बिंदुओं को लागू करने की कवायद की जा रही है। पहला, सभी एनएच पर चिह्नित हुए 80 से अधिक ब्लैक स्पॉट का तत्काल सुधार करना। चाहे इन ब्लैक स्पॉट को हटा दिए जाएं या इनमें जरूरी उपचार करके ठीक कर लिए जाएं। इसे लेकर एनएच को तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। दूसरी पहल के तहत सभी नए और पुराने एनएच पर एटीएमएस (एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) को लगाने के लिए व्यापक स्तर पर कार्ययोजना तैयार कर इसे लागू करना है।

"बिहार के एनएच पर दुर्घटनाओं को कम करने के लिए संबंधित विभागों के साथ मिलकर पहल की जा रही है। सभी से ब्लैक स्पॉट हटाने से लेकर एटीएमएस प्रणाली को लागू करने की कवायद शुरू कर दी गई है। दुर्घटनाओं को कम करने के लिए सभी पहलुओं पर मंथन करके व्यापक कार्ययोजना तैयार की जा रही है।" **-सुधांशु कुमार (एडीजी-ट्रैफिक)**

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 10.11.2023)

पटना-बख्तियारपुर फोरलेन का विस्तार मार्च 2024 तक मोकामा तक पूरा होगा, तेजी से चल रहा निर्माण कार्य

मोकामा-अथमलगोला के बीच फोरलेन तैयार, छोटी गाड़ियां चलने लगीं

पूर्वी पटना के लोगों को नए साल में बड़ी सौगात मिलने वाली है। पटना बख्तियारपुर फोरलेन का विस्तार मार्च 2024 तक मोकामा तक पूरा कर लिया जाएगा। इस स्ट्रेच की लंबाई 44.6 किलोमीटर है। यही नहीं बाढ़ से मोकामा के बीच की सड़क बन कर तैयार हो गई है, जिस पर वाहनों का परिचालन अनाधिकारिक रूप से हो रहा है। बाढ़ से बख्तियारपुर के बीच अथमलगोला के करजान गांव तक काम पूरा हो गया है। करजान से बख्तियारपुर के बीच लगभग 5 किलोमीटर का काम बाकी है, जिसे तेजी से पूरा किया जा रहा है। इससे बख्तियारपुर से मोकामा, बेगूसराय, समस्तीपुर, लखीसराय और पूर्वी व पूर्वोत्तर बिहार जाने वाले लाखों लोगों को हर दिन राहत मिलेगी। अभी लोग आधिकारिक रूप से फोरलेन का इस्तेमाल पटना से बख्तियारपुर के बीच ही करते हैं। बख्तियारपुर- मोकामा फोरलेन एनएच-31 का निर्माण करीब 837 करोड़ रुपए की लागत से जून 2017 में शुरू हुआ था। पहले इसका निर्माण दिसंबर 2020 में पूरा करने की समय-सीमा तय थी, लेकिन जमीन अधिग्रहण की समस्या से इसकी समय-सीमा बढ़ा कर मार्च 2023 कर दी गई थी।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 10.11.2023)

रेल की 65 फीसदी पटरियां कवच से सुरक्षित होंगी

केंद्र सरकार ने रेल के सफर को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए 65 फीसदी पटरियों पर अत्याधुनिक टक्कररोधी तकनीक (कवच) लगाने का खाका तैयार कर लिया है। इसके तहत 35,736 किलोमीटर पटरियों पर कवच लगाने की मंजूरी दे दी गई है।

जबकि दूसरे चरण में स्वर्णिम चतुर्भुज (गोल्डन क्वॉडलेटरल) एवं स्वर्णिम विकर्ण (गोल्डन डायगनल) रूट पर छह हजार किलोमीटर में इस तकनीक को लगाने के लिए सर्वे किया जा रहा है। रेलवे के कुल 68 हजार किलोमीटर लंबी पटरियों में से 44,687 किलोमीटर को कवच से लैस किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, देश के प्रमुख व सबसे व्यस्त रूट दिल्ली- मुंबई व दिल्ली-कोलकाता पर 2951 किलोमीटर पर कवच लगाने का काम चल रहा है। मार्च 2024 तक दोनों रूट पर कवच लगाने का कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा, प्रथम चरण में सबसे अधिक व्यस्त और अत्याधिक उपयोग होने वाले 35,736 किलोमीटर में इस तकनीक को लगाने की मंजूरी दे दी गई है। यह रूट स्वर्णिम चतुर्भुज यानी दिल्ली-कोलकाता, दिल्ली-चेन्नई, दिल्ली-मुंबई, चेन्नई-कोलकाता एवं स्वर्णिम विकर्ण के दिल्ली-चेन्नई, मुंबई-कोलकाता के इतर हैं।

(साभार : हिन्दुस्तान, 07.11.2023)

ECR's 1st rail coach restaurant to open at Barauni stn soon

In a bid to generate additional revenue by reusing its abandoned coaches and provide innovative experience to passengers, the railway has decided to open rail coach restaurants at Barauni, Hajipur, Begusarai and Khagaria stations under the Sonepur division of the East Central Railway (ECR).

"The ECR's first rail coach restaurant is likely to get operational at Barauni this month. The new facility will cater to the dining needs of passengers on the station premises. The breakfast, lunch and other culinary items will be available at affordable prices," said Vivek Bhushan Sood, divisional railway manager (DRM), Sonepur. **(Details : T.O.I, 10-11-2023)**

शराबबंदी कानून तोड़ने वाला किराएदार हो तो मकान को राज्यसात करना अवैध

मामला मुजफ्फरपुर का,
हाईकोर्ट ने राज्यसात करने के आदेश को रद्द किया

पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि शराबबंदी कानून को तोड़ने वाला अगर किराएदार है और उसमें मकान मालिक की कोई संलिप्तता नहीं है तो उसके मकान या परिसर को राज्यसात करना गैरकानूनी है।

न्यायमूर्ति पी. बी. बजनथरी और रमेश चंद मालवीय की खंडपीठ ने राकेश कुमार की याचिका को मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया।

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 09.11.2023)

राज्य का दूध संग्रहण एक दिन में 29 लाख लीटर पहुंचा

कॉम्फेड की मासिक बैठक में इसे बनाये रखने का लिया निर्णय, दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहित किया जाएगा

राज्य में एक दिन का दूध संग्रह 29 लाख लीटर तक पहुंच गया है। कॉम्फेड की मासिक बैठक में इस वृद्धि को आगे भी बरकरार रखने का निर्णय लिया गया। इसके लिए कई जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

बिहार में कॉम्फेड की समितियों के जरिए दूध का संग्रह होता है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष दूध संग्रहण में जबरदस्त इजाफा हुआ। कॉम्फेड की मासिक बैठक में जानकारी दी गई कि सितंबर में एक दिन का दूध संग्रह 29 लाख लीटर से भी अधिक हो गया है। इसलिए दुग्ध संघ इस वृद्धि को बरकरार रखें। इसके लिए समितियों और पशुपालकों को, प्रोत्साहित करें। दुग्ध उत्पादकों को सुविधाएं मुहैया कराई जाए। नवयुवकों को भी पशुपालन से जोड़कर रोजगार उपलब्ध कराने को कहा गया। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 09.11.2023)**

बिना इंटरनेट जी-ड्राइव पर फाइल एक्सेस हो सकेगी

यूजर बिना इंटरनेट भी गूगल ड्राइव पर फोटो और फाइल एक्सेस कर सकेंगे। यूजर सबसे पहले गूगल ड्राइव वेबसाइट पर जाएं। अब इसके ऊपरी दाएं कोने में गियर आइकन पर टैप करें। इसके बाद सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करें। यहां ऑफलाइन ऑप्शन मिलता है, जिसमें एक चेक बॉक्स है। इस चेक बॉक्स को क्लिक करने के बाद गूगल डॉक्स, शीट और स्लाइड फाइले बनाएं, खोलें और एडिट कर सकते हैं। वही मोबाइल पर भी इसी तरह एक्सेस कर सकते हैं।

(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 15.11.2023)

दिवालिया प्रक्रिया में पर्सनल गारंटर पर गाज

जिन कंपनियों के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया जारी है उन कंपनियों की तरफ से बैंकों को पर्सनल गारंटी देने वालों पर गाज गिरनी अब तय है। वर्ष 2019 में ही केंद्र सरकार ने इंसाल्वेंसी व बैंक्रप्सी कोड (दिवालिया कानून) में संशोधन करके गारंटी देने वालों की भूमिका तय करने का कानून बनाया था लेकिन इस प्रविधान के खिलाफ सैकड़ों याचिकाएं दायर कर दी गई थीं कि इनसे गारंटी देने वालों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। कानूनी पचड़े में फंसने की वजह से सैकड़ों दिवालिया प्रक्रियाएं भी ठप्प पड़ी हुई थीं।

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की तरफ से किए गए प्रविधानों को सही ठहराया है। आइबीसी के जानकारों का कहना है कि इससे कंपनी से बकाया वसूलने में काफी सहूलियत होगी। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 10.11.2023)**

वैशाली में लगेगी जूता व बिस्कुट की फैक्ट्री, नौ जिलों में राइस मिल

राज्य के वैशाली जिले में 102 करोड़ से अधिक के निवेश से लेदर फुटवियर बनाने की फैक्ट्री स्थापित होने जा रही है. इसी जिले में 191 करोड़ के निवेश से लॉजिस्टिक एंड वेयर हाउस स्थापित करने का प्रस्ताव है. हाजीपुर में 61 करोड़ के निवेश से बिस्कुट एंड केक यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है. इसी तरह पटना में पाटलिपुत्र रोड क्षेत्र में फूड टेस्टिंग लेबोरेटरी की स्थापना और पाटलिपुत्र औद्योगिक क्षेत्र में सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनी निवेश करने जा रही है. इसके अलावा नौ जिलों में नयी राइस मिल स्थापित करने का प्रस्ताव है. बिहार निवेश प्रोत्साहन पर्षद (एसआइपीबी) की 50वीं बैठक में 820.76 करोड़ के कुल 46 निवेश प्रस्तावों को प्रथम क्लीयरेंस दिया गया है. सभी प्रस्ताव दो करोड़ से अधिक के हैं. इनमें सर्वाधिक 14 प्रस्ताव खाद्य प्रसंस्करण के हैं. इसके अलावा सर्वाधिक 13 प्रस्ताव राइस मिलों की स्थापना के लिए हैं.

216.85 करोड़ के 28 निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लीयरेंस : एसआईपीबी की बैठक में 216.85 करोड़ के 28 निवेश प्रस्तावों को वित्तीय क्लीयरेंस दिया गया है. ये वे प्रस्ताव हैं, जिनमें निवेश के लिए वित्तीय मदद देने के लिए बैंक और अन्य वित्तीय एजेंसियां तैयार हैं. इस बैठक में मोकामा पम्प्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट के इलेक्ट्रिक पावर जेनरेशन प्लांट के संबंध में विभिन्न विभागों को निर्णय लेने के लिए कहा गया है. यह बैठक 10 नवंबर को हुई थी, जिसकी प्रोसिडिंग 17 नवंबर को जारी की गयी. बोर्ड की बैठक में मुख्य रूप से विकास आयुक्त विवेक सिंह, उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संदीप पौंड्रिक और विभाग के निदेशक पंकज दीक्षित मौजूद रहे.

सर्वाधिक प्रस्ताव राइस मिल व खाद्य प्रसंस्करण के

उद्योग	प्रस्ताव की संख्या	निवेश की राशि
राइस मिल	13	157.23 करोड़
खाद्य प्रसंस्करण	14	490 करोड़
जेनरल मैन्युफैक्चरिंग	12	115 करोड़
टेक्सटाइल एंड लेदर सेक्टर	01	102 करोड़
हेल्थ एंड केयर सेक्टर	04	38 करोड़
आइटी सेक्टर	01	5.67 करोड़
स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज	01	3.91 करोड़

(इन सभी को प्रथम क्लीयरेंस दिया गया है)

यहां नयी राइस मिल खोलने का प्रस्ताव : नालंदा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया, पश्चिमी चंपारण, औरंगाबाद, पटना, बक्सर और शेखपुरा

(साभार : प्रभात खबर, 18.11.2023)

गुणवत्ता मानकों के दायरे में आएंगी 217 वस्तुएं

बीआइएस ने एक दिसंबर से मई 2027 तक मानकों के दायरे में आने वाली वस्तुओं की सूची जारी की

• चीन से आयात में कमी लाने और घरेलु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया कदम • नई वस्तुओं में घी-तेल पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले टिन से लेकर एसी से जुड़े कई उत्पाद

क्वालिटी कंट्रोल यानी गुणवत्ता मानकों की मदद से खिलौने की तरह कई अन्य उद्योगों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन मिलने जा रहा है। अगले साढ़े तीन साल में 217 वस्तुओं को गुणवत्ता मानकों के दायरे में लाने की तैयारी हो गई है। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) ने इन सभी वस्तुओं की सूची जारी कर दी है। इन वस्तुओं को एक दिसंबर 2023 से मई 2027 तक चरणबद्ध तरीके से गुणवत्ता मानकों के दायरे में लाया जाएगा। बीआइएस की सूची में घी-तेल पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले टिन से लेकर एसी से जुड़ी कई वस्तुएं शामिल हैं। इस प्रकार के छोटे-छोटे उत्पाद चीन से सस्ते दाम पर पर आयात होते हैं। गुणवत्ता मानक नहीं होने से सस्ते दाम पर इन उत्पादों का धड़ल्ले से आयात किया जा रहा है। सभी 217 वस्तुओं के घरेलू निर्माण और आयात दोनों पर गुणवत्ता मानक लागू होंगे। इससे घरेलू स्तर पर भी इन वस्तुओं की गुणवत्ता सुधरेगी और घटिया माल का आयात भी नहीं हो सकेगा। अभी सैकड़ों छोटे-छोटे उत्पादों का आयात चीन से काफी कम दाम पर किया जाता है। इसका नतीजा यह है कि घरेलू उत्पादकों ने इनका उत्पादन बंद कर दिया क्योंकि वे आयातित माल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाते हैं। पिछले कुछ सालों से सरकार इस प्रकार की वस्तुओं की पहचान कर रही थी। सरकार का उद्देश्य इन वस्तुओं को गुणवत्ता मानकों के दायरे में लाकर फिर से घरेलू स्तर पर इनका उत्पादन शुरू करवाना भी है। आयात इसलिए कम या बंद हो जाएगा क्योंकि भारत में अपना माल भेजने वाली कंपनियों को बीआइएस के अधिकारियों को अपने देश में बुलाकर अपनी यूनिट का दौरा कराना होगा और उनसे प्रमाणपत्र मिलने के बाद ही वे अपना माल भेज सकेंगी, जो आसान नहीं होगा।

सूची में लकड़ी से जुड़ी कई वस्तुएं : बीआइएस की ओर से जारी की गई सूची में लकड़ी से बनी कई वस्तुओं को भी शामिल किया गया है। इससे घरेलू फर्नीचर उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। अभी सस्ते दाम वाले लकड़ी से बनी वस्तुओं का आयात होता है और उससे फर्नीचर तैयार किया जाता है। अब घरेलू स्तर पर फर्नीचर से जुड़ी वस्तुओं का निर्माण शुरू होगा। इसी प्रकार, घी-तेल रखने वाले टिन से लेकर बड़े कंटेनर का भी घरेलू निर्माण जोर पकड़ सकता है। एसी से जुड़े सभी प्रकार के सर्किट पर भी वर्ष 2026 में गुणवत्ता मानक लागू हो जाएंगे। इससे उनका आयात बंद हो सकता है।

कच्चे व रिफाइंड पाम तेल के आयात शुल्क में अंतर बढ़ाएं : उद्योग संगठन साल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन (एसईए) ने सरकार ने रिफाइंड पाम तेल के बढ़ते आयात पर चिंता जताई है। संगठन ने सरकार से कच्चे और रिफाइंड पाम तेल के आयात पर लगने वाले शुल्क के अंतर को 7.5 प्रतिशत से बढ़कर 15 प्रतिशत करने का आग्रह किया है। एसईए का कहना है कि घरेलू रिफाइनर्स को हितों की रक्षा के लिए ऐसा करना जरूरी है। एसईए के प्रेसिडेंट अजय झुनझुवाला का कहना है कि हाल के वर्षों में इंडोनेशिया और मलेशिया ने कच्चे पाम तेल के मुकाबले रिफाइंड पाम तेल पर ज्यादा निर्यात शुल्क लगा दिया है। इससे भारत में रिफाइंड तेल सस्ती दरों पर आ रहा है, जबकि घरेलू रिफाइनरी उद्योग चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। **(साभार : दैनिक जागरण, 22.11.23)**

एयरपोर्ट पर होगी मिथिला मखाना की ब्रांडिंग

• विभिन्न राज्यों के कृषक, निर्यातक एवं कृषि विज्ञानियों का होगा जुटान • पहली दिसंबर से ज्ञान भवन में राष्ट्रीय मखाना महोत्सव का कृषि विभाग करेगा आयोजन • राष्ट्रीय फलक पर मखाना के उत्पादन एवं बाजार के नए आयाम की होगी तलाश

सरकार पहली व दो दिसंबर को ज्ञान भवन में दो दिवसीय राष्ट्रीय मखाना महोत्सव का आयोजन करेगी। महोत्सव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाएगा। इस पहल से राष्ट्रीय फलक पर मखाना के उत्पादन में वृद्धि एवं बाजार के नए आयाम की तलाश की जाएगी। महोत्सव में मखाना के डिजिटल मार्केटिंग के साथ बाजार के नए आयाम पर भी चर्चा होगी। दरभंगा एयरपोर्ट की तरह राज्य के अन्य एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड पर बिहार का मखाना-मिथिला मखाना की बिक्री हेतु रणनीति पर विमर्श किया जाएगा, ताकि राज्य में आने वाले पर्यटक बिहार का मखाना सौगात के रूप में अपने साथ ले जा सकें।

निर्यातक, ट्रेडर्स, वैज्ञानिक और कृषक भी लेंगे भाग : कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल ने बताया कि मखाना महोत्सव-2023 के आयोजन का मुख्य उद्देश्य मखाना को आमजन तक पहुंचाना एवं उत्पाद एवं निर्यात क्षमता को बढ़ाना है। इस महोत्सव में मखाना के प्रगतिशील कृषकों एवं उत्पादक कंपनी, देश एवं राज्य के प्रमुख निर्यातकों, ट्रेडर्स, वैज्ञानिक आदि को आमंत्रित किया गया है। मखाना के उत्पादन में वृद्धि करने के साथ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उचित मूल्य पर उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है। **(विस्तृत : दैनिक जागरण, 22.11.2023)**

कजरा में 185 मेगावाट क्षमता का सौर प्लांट लगेगा

लखीसराय के कजरा में 185 मेगावाट क्षमता का सौर पावर प्लांट लगाया जाना है। यह बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली परियोजना जिसपर 1810.34 करोड़ खर्च होगा। इसमें 80:20 वित्तीय पोषण के तहत 80 फीसदी अर्थात् 1448.27 करोड़ रुपए सरकार की गारंटी पर विभिन्न वित्तीय संस्थानों से ऋण स्वरूप प्राप्त करने की स्वीकृति और 20 फीसदी 362.07 करोड़ रुपए इक्विटी स्वरूप पूंजीगत निवेश के रूप में उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गयी।

(साभार : हिन्दुस्तान, 22.11.2023)

घरातल पर उतरने को तैयार 217 करोड़ का निवेश, मिली वित्तीय मंजूरी

भागलपुर-पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट और बेगूसराय में खुलेगा वाटर पार्क

• 58 करोड़ का निवेश . भागलपुर के नवगछिया में • 17.30 करोड़ का निवेश पूर्णिया के परौरा में • 10 करोड़ का निवेश बेगूसराय में वाटर पार्क, होटल व रेस्टोरेंट स्थापित करने में होगा

बिहार में 217 करोड़ की 28 औद्योगिक यूनिटों को वित्तीय क्लियरेंस हाल ही में मिल गया है. इस तरह का क्लियरेंस उन यूनिटों को दिया जाता है, जिन्हें वित्तीय एजेंसियां लोन और दूसरी सुविधाएं देने के लिए अंतिम रूप से तैयार हो जाती हैं. ऐसी यूनिट में पटना के पाटलिपुत्र एरिया में स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न एनएबीएल एक्रेडिटेड फूड टेस्टिंग लैब स्थापित होने जा रही है. इस तरह की लैब में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की उच्चस्तरीय जांच होती है. इसके अलावा भागलपुर और पूर्णिया में इथेनॉल प्लांट स्थापित होने जा रहा है. बिहार के औद्योगिक निवेश को क्लियरेंस देने वाली एजेंसी स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की 50 वीं बैठक में इन सभी प्रस्तावों को वित्तीय क्लियरेंस दिये है. जानकारों का कहना है कि अब कुछ ही माह में यह निवेश धरातल पर उतर जायेंगे. दरअसल इनके निवेश की वित्तीय अड़चने दूर हो गयी हैं.

पटना में फूड टेस्टिंग लैब की होगी स्थापना : भागलपुर के नवगछिया में 58 करोड़ के निवेश और पूर्णिया के परौरा में 17.30 करोड़ के निवेश से इथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाना है. बेगूसराय में वाटर पार्क / होटल / रेस्टोरेंट स्थापित करने में लगभग 10 करोड़ का निवेश किया जाना है. पटना में फूड लैब की स्थापना में करीब छह करोड़ का निवेश किया जा रहा है. पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज में चार करोड से अधिक के निवेश में होटल स्थापित किया है. शेष निवेश फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में किये जाने हैं..

प्रोमोशन बोर्ड ने दिये विशेष निर्देश : • एसआईपीबी ने नगर आवास एवं आवास विकास विभाग को निर्देश दिये कि निवेशकों को जरूरी लाइसेंस मसलन लैंड डेवलपमेंट प्लान अंडर बिहार बिल्डिंग, पानी आपूर्ति और ट्रेड लाइसेंस आदि सिंगल विंडो सिस्टम से दिया जाना सुनिश्चित किया जाये • पटना

एवं अन्य अर्बन लोकल बॉडी के मास्टर प्लान में विभिन्न प्रकार के उपयोग वाले क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए उसे ऑनलाइन किया जाये • फायर एनओसी / ऑडिट / सर्टिफिकेट / लैंड कन्वर्जन की सुविधा ऑनलाइन देने के लिए निर्देशित किया गया है. ऑनलाइन • एनओसी की टाइम लाइन 31 दिसंबर तक निर्धारित कर दी गयी है • स्टेज वन और वित्तीय प्रोत्साहन क्लियरेंस के मामलों को ग्राफिक्स प्रेजेंटेशन के माध्यम से बताया जाये.

(साभार : प्रभात खबर, 21.11.2023)

पर्यटन केंद्रों के पास बनेंगे होटल-रिजार्ट 30% मिलेगा अनुदान

राज्य में पर्यटन केंद्रों को विकसित करने और पर्यटन क्षेत्र में निवेश लाने के लिए नई पर्यटन नीति का खाका तैयार कर लिया गया है। इसमें पर्यटन केंद्रों के दस किलोमीटर के दायरे में निवेश पर सरकार की ओर से अधिकतम 30 प्रतिशत तक अनुदान देने का प्रविधान किया गया है ।

अनुदान अधिकतम दो करोड़ से 15 करोड़ रुपये तक होगा। इसके तहत पर्यटन केंद्रों के पास होटल- रिजार्ट, हेरिटेज होटल, वेलनेस सेंटर, थीम एवं मनोरंजन पार्क, गोल्फ कोर्स, कन्वेंशन सेंटर, लग्जरी ढाबा-रेस्तरां आदि प्रोजेक्ट पर काम होगा। नई पर्यटन नीति को जल्द ही राज्य सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार इसके लिए 21 जिलों के महत्वपूर्ण पर्यटन केंद्रों की सूची भी तैयार कर ली गई है। गया, बोधगया, नालंदा, राजगीर, वैशाली और वाल्मिकी नगर टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट जैसे अंतरराष्ट्रीय पर्यटन केंद्रों के दस किलोमीटर में आने वाले प्रोजेक्ट पर पांच प्रतिशत तक अतिरिक्त अनुदान दिया जाएगा। पटना नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट पर इस पालिसी के तहत प्रोत्साहन नहीं मिलेगा।

इन पर्यटन केंद्रों के आसपास प्रोजेक्ट पर मिलेगा अनुदान : पश्चिमी चंपारण का लौरिया नंदनगढ़, वाल्मिकीनगर टाइगर रिजर्व, भितिहरवा गांधी आश्रम, अमवामन झील । पूर्वी चंपारण का केसरिया, अरेराज, आरवेल का जन्मस्थान, लेक टाऊन। सीतामढी का पुनौराधाम । गोपालगंज का थावे मंदिर । सारण का आमी स्थान, चिरांद, हरिहर क्षेत्र । मधेपुरा का सिंहेश्वर स्थान । वैशाली का अशोक पिलर, विश्व शांति स्तूप और कोल्हुआ बौद्ध स्तूप। नालंदा का खंडहर, कुंडलपुर, पावापुरी जलमंदिर, घोड़ा कटोरा, व्हेन सांग मेमोरियल हाल। राजगीर का गृद्धकूट पर्वत, साइक्लोपियन दीवार। पटना का मनेरशरीफ। बेगूसराय का कांवर झील, जयमंगलगढ़। भागलपुर का विक्रमशिला विश्व-विद्यालय, नाथनगर जैन मंदिर, डाल्फिन सेंचुरी, सुल्तानगंज अजगैबीनाथ मंदिर । जहानाबाद का वाणावर, बीबी कमल का मकबरा, बराबर गुफाएं। मुंगेर का भीम बांध, मुंगेर किला। कैमूर का तेल्हाड़ा कुंड, करकटगढ़ झरना, मुंडेश्वरी मंदिर। रोहतास का धुआं कुंड, रोहतासगढ़ किला, मंझर कुंड झरना, तुतला भवानी, कशिश झरना, शेरशाह मकबरा, शेरशाह का किला, करमचट डैम, इंद्रपुरी डैम। औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर, अमझर शरीफ दरगाह, उमंगा मंदिर। गया का डुंगेश्वरी मंदिर, विष्णुपद मंदिर, महाबोधि मंदिर, निरंजना रिवरफ्रंट, ब्रह्मयोनि, पत्थरकट्टी, सुजाता कुटिर । नवादा का ककोलत झरना । जमुई का लछौर जैन मंदिर, नागी-नकटी डैम। बांका का ओढ़नी डैम और मंदार की पहाड़ी।

• 10 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट पर 30 प्रतिशत अनुदान की अधिकतम राशि दो करोड़ • 50 करोड़ रुपये तक के प्रोजेक्ट पर 25 प्रतिशत अधिकतम राशि 7.50 करोड़ • 50 करोड़ रुपये से अधिक के प्रोजेक्ट पर 25 प्रतिशत अनुदान, अधिकतम 15 करोड़ रुपये। **(साभार : दैनिक जागरण, 21.11.23)**

समुद्र के रास्ते होगा फल और सब्जियों का निर्यात

भारत समुद्री मार्ग से केले, आम, अनार और कटहल जैसे विभिन्न फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रोटोकॉल (व्यवस्था) तैयार कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

फिलहाल इनमें से अधिकांश का निर्यात कम मात्रा और अलग-अलग पकने की अवधि के कारण हवाई मार्ग से हो रहा है। प्रोटोकॉल में यात्रा के समय को समझना, वैज्ञानिक रूप से इन वस्तुओं के पकने को समझना, एक विशेष समय पर कटाई करना और किसानों को प्रशिक्षण देना शामिल है। ये प्रोटोकॉल अलग-अलग फलों और सब्जियों के लिए अलग-अलग होंगे।

वाणिज्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि समुद्री मार्ग से निर्यात के दो फायदे (मात्रा और लागत) हैं। इससे फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी क्योंकि हवाई माल परिवहन से निर्यात का इन वस्तुओं की कीमत प्रतिस्पर्धा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

उन्होंने कहा, "अब तक हम इन खराब होने वाले उत्पादों के निर्यात के लिए हवाई मार्गो का उपयोग कर रहे हैं लेकिन अब, हम यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि इन कृषि उत्पादों को भेजने के लिए समुद्री मार्ग का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अब, हमने इसके लिए समुद्री प्रोटोकॉल विकसित करना शुरू कर दिया है।'

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 22.11.2023)

बिहार में सब्जी उत्पादन बढ़ाकर नेपाल और दुबई होगा निर्यात

बिहार में सब्जी उत्पादन बढ़ाकर निर्यात की तैयारी है। पहले चरण में नेपाल और दुबई सब्जी भेजी जाएगी। इसके लिए नेपाल में क्लीयरिंग एजेंट (वेंडर) की तलाश शुरू हो गई है। वहीं, दुबई के मानकों के अनुसार जांच के लिए वहां सैंपल भेजा गया है। निर्यात के लिए राज्य के तीनों सब्जी सहकारी संघों को लाइसेंस मिल चुका है। मिथिला सब्जी संघ, तिरहुत सब्जी संघ और हरित सब्जी संघ को डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने लाइसेंस जारी किया है। अब कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के सहयोग से निर्यात की अन्य प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तीनों संघों का सैंपल एपीडा के जरिए ही दुबई भेजा गया है। वहां मानकों का खरा उतरने के बाद सब्जी निर्यात शुरू कर दिया जाएगा। बिहार से दुबई सब्जी भेजने के लिए सबसे नजदीक एयरपोर्ट बनारस है जहां से कार्गो दुबई जाता है। इसलिए शाहाबाद इलाके में सब्जी उत्पादक को बढ़ावा दिया जाएगा। नेपाल में वेंडर के साथ समझौता होने के बाद तिरहुत और मिथिला सब्जी संघ के जरिए निर्यात शुरू कर दिया जाएगा। अभी कई निजी व्यापारी अपने संसाधनों से नेपाल सब्जी भेज रहे हैं। अभी बिहार से बाहर परवल और टमाटर भेजे जाते हैं। परवल की मांग दिल्ली और शिमला में है। वहीं, टमाटर झारखंड भेजा जाता है। झारखंड में मदर डेयरी के प्रोसेसिंग प्लांट में टमाटर भेजा जाता है। **(विस्तृत : हिन्दुस्तान, 19.11.2023)**

रेलवे का फोरलेन : मुजफ्फरपुर के रास्ते छपरा से कटिहार तक तीसरी व चौथी लाइन बिछेगी

उत्तर बिहार के रास्ते पूर्वोत्तर भारत तक रेल आवागमन को और सुगम किया जाएगा। नेपाल सीमा से सटे पनियहवा से नरकटियागंज- रक्सौल-सीतामढ़ी-दरभंगा रेलमार्ग के दोहरीकरण के साथ-साथ फारबिसगंज के रास्ते सीधे कटिहार तक रेल नेटवर्क को विकसित कर पूर्वोत्तर भारत तक रेल परिचालन को नया वैकल्पिक मार्ग बनाया जाएगा। इसके अलावा रेल मंत्रालय ने पूर्व मध्य रेल क्षेत्र के प्रमुख रेलमार्ग छपरा कचहरी से सोनपुर-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर-बरौनी-कटिहार पर तीसरी व चौथी रेल लाइन के साथ- साथ विभिन्न रेलखंडों के दोहरीकरण, बायपास, रेलवे फ्लाईओवर सहित 40 नए प्रोजेक्ट की आवश्यकता पर सहमति जताई है। इसके लिए पूर्व मध्य रेलवे को फाइनल लोकेशन सर्वे कराने को कहा है। ताकि, इसका अलाइनमेंट निर्धारित किया जा सके। इसके तहत रेलवे करीब 936 किमी की दूरी में अपना बेहतर नेटवर्क स्थापित करेगा। फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए करीब 19 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

उत्तर बिहार में 450 किमी रेलमार्ग पर बिछेगी तीसरी और चौथी लाइन : फाइनल लोकेशन सर्वे के लिए जारी प्रोजेक्ट की सूची में प्रमुख रूप से छपरा कचहरी से सोनपुर-मुजफ्फरपुर-समस्तीपुर-बछवाड़ा-बरौनी के रास्ते कटिहार तथा हाजीपुर-बछवाड़ा रेलमार्ग पर तीसरी तथा चौथी रेल लाइन बिछाना है। करीब 450 किमी लंबे इस रेलमार्ग पर दोहरीकरण का काम पूरा हो चुका है।

इस प्रोजेक्ट के सर्वे पर करीब 9 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। फिलहाल इस रेलमार्ग पर प्रतिदिन राजधानी एक्सप्रेस सहित 112 सवारी ट्रेन तथा 70 मालगाड़ियों का परिचालन हो रहा है। ट्रैफिक लोड होने से रेलखंड पर अक्सर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होता है। तीसरी व चौथी लाइन बिछाने के लिए भू अर्जन की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि, इस रेलखंड पर नई लाइन बिछाने के लिए रेलवे के पास पहले से ही पर्याप्त जमीन है।

पर्वोत्तर भारत तक रेल आवागमन सुगम करने के लिए नेपाल सीमा से सटे रेलखंडों का दोहरीकरण करते हुए फारबिसगंज के रास्ते कटिहार तक वैकल्पिक रेलमार्ग बनाने की योजना है।

– **विनय श्रीवास्तव,** डीआरएम, समस्तीपुर

(विस्तृत : दैनिक भास्कर, 24.11.2023)

दिसंबर से राज्य के सभी जिलों में कटेगा ई-चालान

राज्य के सभी जिलों में यातायात नियमों के उल्लंघन पर दिसंबर से ई-चालान कटेगा। इसके लिए सभी जिलों को हैंड हेल्ड डिवाइस (एचएचडी) उपलब्ध कराने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इससे यातायात नियमों के उल्लंघन से जुड़ी प्रमाणिक तस्वीर चालान के साथ दी जाएगी। इससे यातायात जुर्माना वसूली में पारदर्शिता आएगी।

अपर पुलिस महानिदेशक, ट्रैफिक सुधांशु कुमार ने बताया कि इसी माह सभी जिलों में ट्रैफिक थाने का गठन का काम पूरा कर लिया गया है। अब सभी जिलों में हैंडहेल्ड डिवाइस का वितरण कर उसे एक्टिव करने की प्रक्रिया चल रही है। दिसंबर से पूरे राज्य में मैनुअल चालान बंद हो जाएगा। वर्तमान में 22 जिलों में मैनुअल चालान बंद कर एचएचडी से चालान काटा जा रहा है। इसके लिए दो चरण में 1362 एचएचडी का वितरण किया जा चुका है। शेष 18 जिलों सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, औरंगाबाद, अरवल, जहानाबाद, शेखपुरा, जमुई, लखीसराय, बांका, अररिया, किशनगंज, कैमूर, गोपालगंज, शिवहर सीतामढ़ी, खगड़िया और बगहा में 30 नवंबर तक एचएचडी का वितरण कर तस्वीर के साथ ई-चालान काटने का लक्ष्य रखा गया है।

(साभार : हिन्दुस्तान, 23.11.2023)

भारत में रेलवे जोन

पहले कुल 17 जोन थे जो 2022 में रेलवे विस्तारण के बाद बढ़कर 18 हो गए है-ये इस प्रकार हैं :-

क्रम संख्या	रेलवे जोन	क्रम संख्या	रेलवे जोन
1.	मध्य रेलवे	10.	दक्षिण पश्चिम रेलवे
2.	उत्तर रेलवे	11.	उत्तर पश्चिम रेलवे
3.	पूर्वोत्तर रेलवे	12.	पश्चिम मध्य रेलवे
4.	पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे	13.	उत्तर मध्य रेलवे
5.	पूर्व रेलवे	14.	दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
6.	दक्षिण पूर्व रेलवे	15.	पूर्व तटीय रेलव
7.	दक्षिण मध्य रेलवे	16.	कोलकाता मेट्रो रेल
8.	दक्षिण रेलवे	17.	दक्षिण तटीय रेलवे
9.	पश्चिम रेलवे	18.	पूर्व मध्य रेलवे

जनरल और स्लीपर क्लास में सबसे ज्यादा यात्री

भारतीय रेल का बेशक, सारा जोर वातानुकूलित ट्रेन चलाने पर रहता हो लेकिन सच यह है कि देश की बड़ी आबादी अब भी ज्यादातर जनरल या स्लीपर में सफर करती है।

रेल मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, कुल रेलयात्रियों का 95 फीसद वातानुकूलित कोच में यात्रा नहीं करता। सभी ट्रेनों में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान 390.20 करोड़ यात्रियों ने सफर किया और इनमें से 372 करोड़ यात्रियों ने जनरल और स्लीपर क्लास में यात्रा की। कुल यात्रियों की यह संख्या 95.3 फीसद है। जहां तक वातानुकूलित कोच में यात्रा करने की बात है तो इस अवधि के दौरान 18.2 करोड़ लोगों ने सफर किया। यह संख्या रेल के सभी क्लास में सफर करने वालों के मुकाबले महज 4.7 फीसद ही है।

जहां वंदे मातरम् ट्रेन का क्रेज है तो वहीं जनरल क्लास के यात्रियों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है। इस साल एसी क्लास में कुल 18.2 करोड़ यात्रियों ने सफर किया जो पिछले साल के मुकाबले 3.1 करोड़ अधिक है। इस साल तीन करोड़ से ज्यादा यात्री वातानुकूलित कोच में सफर करने वाले बढ़ गए हैं। हालांकि नॉन एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या में इससे भी ज्यादा वृद्धि हुई। इस साल इस क्लास में 334 करोड़ लोगों ने यात्रा की। इसमें बीते साल के बनिस्बत 38 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गई।

रेलवे का कहना है कि कोरोना काल से पहले की तुलना में अब ज्यादा ट्रेन ट्रैक पर दौड़ रही हैं। इस समय प्रति दिन 2,122 मेल और एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जा रही हैं जबकि कोरोना काल से पहले 1,768 ट्रेन प्रति दिन चलती थीं। 2,792 पैसेंजर ट्रेन पहले चलती थीं, जो अब बढ़कर 2852 ट्रेन हो गई हैं। हालांकि, इन दिनों मेल और एक्सप्रेस ट्रेन ज्यादातर स्पेशल ट्रेन और गतिशक्ति स्पेशल ट्रेन के तौर पर चल रही हैं।

मालगाड़ी से सबसे ज्यादा मुनाफा : • रेलवे में लगभग 236 लाख लोग रोज सफर करते हैं • रेलवे एक दिन में 150 करोड़ रुपये कमाता है • रेलवे एक साल में 54,000 करोड़ रुपये कमाता है।

भारत में कुल रेलवे स्टेशन : भारत में वर्तमान में कुल 8,332 रेलवे स्टेशन हैं और इन पर 12 लाख से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। भारत में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशनों में हावड़ा जंक्शन, विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन, लखनऊ रेलवे स्टेशन और मुगलसराय रेलवे स्टेशन हैं। भारतीय ट्रेन में रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा यात्री सफर करते हैं।

भारतीय रेल के बारे में रोचक तथ्य : • भारतीय रेल नेटवर्क लगभग 65 हजार किमी. में फैला हुआ है, और रोजाना इन पर 11 हजार से ज्यादा ट्रेन चलती हैं • फोर्ब्स के मुताबिक, इंडियन रेलवे 15 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है, और यह विश्व की सबसे बड़ी नियोक्ता है • भारत का सबसे बड़ा स्टेशन मथुरा जंक्शन है, जिसके 7 रास्ते हैं • भारत में सबसे लंबा रेलवे स्टेशन चेन्नई के पास का वेंकटनारासिम्हाराजूवरिपेटा स्टेशन है • भारत का सबसे लंबा स्टेशन प्लेटफॉर्म उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन का है, जिसकी लंबाई लगभग 4,481 फुट है • भारत का पहला रेलवे स्टेशन मुंबई में बोरीबंदर है जहां पर साल 1853 में ट्रेन की पहली यात्रा बोरीबंदर से ठाणे की बीच तय की गई थी • भारत में सबसे ज्यादा दूर चलने वाली ट्रेन विवेक एक्सप्रेस है। यह ट्रेन डिब्रुगढ़ से कन्याकुमारी तक का सफर (4,273 किमी.) तय करती है।

• वर्तमान में भारत में कुल रेलवे मंडल - **68 रेलवे मंडल** • वर्तमान में भारत में रेलवे जोन **18 रेलवे जोन** • भारत में पहली ट्रेन - **16 अप्रैल, 1853 में बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी** • इंडियन रेलवे का मुख्यालय - **नई दिल्ली में** • भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना - **साल 1853 में हुई थी** • रेलवे का सबसे बड़ा अधिकारी - **भारतीय रेलवे में सबसे बड़ा अधिकारी रेलवे बोर्ड का चेयरमैन होता है, जो भारत सरकार का प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी होता है।**

(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 19.11.2023)

निवेशकों को 15 करोड़ तक मिलेगी सब्सिडी

उद्योग विभाग ने बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी 2023 लांच कर दी है। पॉलिसी के तहत प्रस्तावित अहम नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी का है. यह सब्सिडी 10 फीसदी रखी गयी है. लॉजिस्टिक पार्क में यह सब्सिडी अधिकतम 10 करोड़, लॉजिस्टिक यूनिट में अधिकतम दो करोड़ और मल्टी- मॉडल लॉजिस्टिक पार्क में अधिकतम 15 करोड़ निर्धारित की गयी है. कैबिनेट में पारित इस पॉलिसी में कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी के अलावा स्पेशल इंसेंटिव पैकेज भी दिये जायेंगे. यह सामान्य से दस फीसदी अधिक होगा. इसमें ब्याज पर छूट सामान्य से पंद्रह फीसदी कम तक संभव है. यह सभी स्पेशल पैकेज एससी/एसटी / आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, महिला, दिव्यांग वर्ग, शहीद की पत्नी, एसिट अटैक से पीड़ित, थर्ड जेंडर आदि शामिल हैं. पॉलिसी में बिहार औद्योगिक निवेश निवेश प्रोत्साहन नीति 2016 के तहत मिलने वाली सुविधाएं

भी मिलेंगी. उदाहरण के लिए लैंड कन्वर्जन फीस, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, एसजीएसटी शत प्रतिशत माफ रहेगी. इसे कारोबारियों को सुविधा होगी।

देश में लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने वाला बिहार पहला राज्य : बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी के तहत मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, लॉजिस्टिक पार्क, इन लैंड कंटेनर डिपो, ग्रेड ए वेयर हाउस, कोल्ड चैन सुविधा और कंटेनर फ्रेट स्टेशन आदि की इकाइयां शामिल की गयी हैं. जिन्हें इस पॉलिसी के तहत सुविधा मिलेगी. देश में लॉजिस्टिक पॉलिसी लाने वाला बिहार पहला राज्य है। इसका मकसद माल ढुलाई की प्रक्रिया को आसान बनाना है. बड़ी संख्या में लॉजिस्टिक से जुड़े कारोबारियों को इससे काफी फायदा होगा।

17 देशों के निवेशकों ने पटना के इन्वेस्टर मीट में आने को कराया पंजीयन : पटना में प्रस्तावित इन्वेस्टर मीट में शामिल होने के लिए करीब 17 देशों के निवेशक प्रतिनिधियों ने पंजीयन करा लिया है. इनमें यूएसए, जापान, वियतनाम, बांग्लादेश, घाना, जर्मनी, सऊदी अरब, नीदरलैंड, नेपाल आदि के प्रतिनिधि शामिल हैं. दिसंबर मध्य में आयोजित होने वाली इस इन्वेस्टर मीट आयोजन की तैयारी में उद्योग विभाग लगा हुआ है।

खासतौर पर विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उनसे संपर्क किया जा रहा है. साथ ही लैंड बैंक भी तैयार किया जा रहा है।

(साभार : प्रभात खबर, 24.11.2023)

बिना रजिस्ट्रेशन वाले अस्पताल और नर्सिंग होम अब नहीं चलेंगे

राज्य में अस्पताल, नर्सिंग होम, मेटरनिटी सेंटर, डिस्पेंसरी सहित सभी प्रकार के क्लिनिक को संचालित कराने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा. बिना रजिस्ट्रेशन वाले कोई भी नर्सिंग होम या क्लिनिक चलाने पर रोक लगायी जायेगी. सभी अस्पतालों, निर्सिंग होम व मेटरनिटी सेंटरों को संचालित करने के लिए न्यूनतम मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा. स्वास्थ्य विभाग ने राज्य में संचालित होने वाले ऐसे सभी इलाज करनेवाले अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन के लिए जिला स्तर पर जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार (ऑथोरिटी) और क्लिनिकल इस्टैबलिसमेंट रेंगूलेशन को क्रियान्वित करने के लिए स्टेट काउंसिल के पुनर्गठन की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी है. स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्लिनिकल इस्टैबलिसमेंट स्टेट काउंसिल का गठन स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में की है. इसके सदस्य सचिव निदेशक प्रमुख (प्रशासन) को बनाया गया है: अस्पतालों के लिए जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकार में जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे. किसी भी अस्पताल को रजिस्ट्रीकरण के लिए सुविधाओं और सेवाओं के न्यूनतम मानकों का पालन करना होगा।

(साभार : प्रभात खबर, 1.11.2023)

शहर में निर्माण एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण के मानक का अनुपालन करने का दिया गया टास्क

डीएम डॉ. चंद्रशेखर सिंह ने शहर में काम करने वाली एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण के मानक का शत प्रतिशत अनुपालन करने का टास्क दिया है। इसमें पटना मेट्रो, पुल निर्माण निगम, बीएसआरडीसीएल सहित अन्य एजेंसी शामिल हैं। समाहरणालय सभागार में वायु प्रदूषण रोकथाम व नियंत्रण के लिए गठित जिला- स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक के दौरान डीएम ने कहा कि निर्माण कार्यों के कारण धूल और पार्टिकुलेट मैटर में वृद्धि को रोकने के लिए निरोधात्मक व उपचारात्मक कार्रवाई करें। ग्रीन कवर लगाकर निर्माण कार्य किया जाए। खुले में सामग्रियों को ढोने का कार्य नहीं करें। इस दौरान सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को निर्माण कार्यों में संलग्न कंपनियों और एजेंसियों से पर्यावरण मानकों का अनुपालन कराने का निर्देश दिया है।

वहीं, जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक को विभाग के द्वारा निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराने, फ्लाई ऐश मैनेजमेंट और प्रदूषण नियंत्रण के लिए एनजीटी द्वारा जारी दिशा-निदेश के अनुरूप कार्य कराने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि मानक उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।

(साभार : दैनिक भास्कर, 22.11.2023)

GST council's role only recommendatory : HC

The Madras high court has held that the GST council's role, particularly in product classification, is only recommendatory. In Parle Agro's case, the court determined 'flavored milk' to be under a lower GST tariff of 5% despite the council recommending a higher rate of 12% in its meeting of December 22,2018.

This decision would support taxpayers against GST demands based solely on council discussions or even mere clarificatory circulars. However, the government can introduce changes, including in GST rates, through legal amendments or notifications.

"The GST council in its meeting had stated that flavoured milk will be liable for a higher rate of GST. However, no amendment was carried out by way of a notification leading the HC to hold that the 'minutes of the meeting' do not represent the law. A similar situation could also arise where a clarification is issued by the GST council through a circular rather than through appropriate amendment in law or a notification," said Sunil Gabhawalla, founder of a CA firm specialising in indirect taxation. HC relied on a Supreme Court ruling in Mohit Mineral, which emphasised that GST council recommendations aren't binding on the Union and states. It said that treating council's recommendations as binding would disrupt fiscal federalism.

The high court said it is open for the government to issue a fresh notification, to tweak the rate of tax.

"The GST council is not a law-making body but is meant to provide recommendations to the legislature for making changes in law (either by way of amendment or issuance of a notification). The high court decision only re-emphasises this principle. The council also recommends issuance of a clarification, typically on contentious issues pursuant to representations made by industry. The clarifications issued have to be in line with the law, read with relevant judicial preachments," said Pratik Jain, partner at Price Waterhouse & Co.

After a GST council meeting, a legislative amendment is made, or a notification is issued. However, there are several Instances, where after a GST Council meeting, the issue has been merely clarified via a circular.

Legal Amendment Is Must' : • Madras HC has held that the GST Council's role is only recommendatory. The govt can introduce changes, including in GST rates, through legal amendments or notifications • After a GST council meeting, for instance, if an issue has been merely clarified via a circular - it is open to be challenged by the industry • In Parle Agro's case, the Madras HC determined 'flavored milk' to be under a lower GST tariff of 5% despite the council recommending a higher rate of 12% • The high court said that treating GST council's recommendations as binding would disrupt fiscal federalism.

(Source : T. O. I. 23.11.2023)

जीएसटी के मांग आदेशों के खिलाफ माफी योजना शुरू

वित्त मंत्रालय ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मांग आदेशों के खिलाफ अपील करने के लिए माफी योजना शुरू की है। केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआइसी) के अनुसार यह योजना 31 जनवरी, 2024 तक खुली रहेगी। योजना उन संस्थाओं के लिए है, जो 31 मार्च, 2023 को या उससे पहले कर अधिकारी द्वारा जारी आदेशों के खिलाफ अपनी अपील दाखिल नहीं कर सके थे।

सीबीआइसी ने इस योजना के संबंध में एक अधिसूचना जारी की। अभी तक जीएसटी कानून के तहत करदाता मांग आदेश मिलने के तीन महीने के भीतर उसके खिलाफ अपील दायर कर सकते थे। इस अवधि को एक महीने और बढ़ाया जा सकता है। जीएसटी परिषद ने सात अक्टूबर को अपनी पिछली बैठक में अपील दायर करने के लिए इस माफी योजना को मंजूरी दी थी, योजना का लाभ उठाने की इच्छुक संस्थाओं को कर मांग का 12.5 प्रतिशत पहले जमा

करना होगा। वर्तमान में यह राशि 10 प्रतिशत है। इस कदम से उन करदाताओं को सुविधा होगी, जो पूर्व में निर्धारित समय अवधि के भीतर अपील दायर नहीं कर सके थे।

इस पहल से कानूनी प्रणाली पर कम होगा बोझ : एएमआरजी एण्ड एसोसिएट्स के वरिष्ठ भागीदार रजत मोहन ने कहा कि इस योजना से उन लोगों को राहत मिलेगी जो प्रशासनिक त्रुटियों या अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण अपील की समय सीमा चूक गये होंगे। विवादों को अधिक कुशलता से हल करने की अनुमति देकर, योजना कानूनी प्रणाली पर बोझ को कम कर सकती है। इससे लंबे समय तक मुकदमेबाजी की आवश्यकता को कम करके करदाताओं और कर प्रशासन दोनों को लाभ होगा। **(साभार : प्रभात खबर, 4.11.2023)**

कर्ज के नियम कड़े करना ऐहतियाती कदम : दास

आरबीआई गवर्नर ने कहा,
यह कदम बैंकिंग व्यवस्था सुचारु बनाए रखने में मददगार

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि असुरक्षित माने जाने वाले कुछ कर्ज के मानदडों को हाल ही में कड़ा करना सोच-समझकर लिया गया एहतियाती और लक्षित कदम है। यह बैंक व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के हित में है।

दास ने यह भी कहा कि हमारी बैंकिंग प्रणाली मजबूत बनी हुई है और फिलहाल इसको लेकर चिंता का कोई कारण नहीं है। हालांकि उन्होंने बैंकों को ज्यादा सतर्क रहने और किसी भी तरह के जोखिम का समय रहते पता लगाने की सलाह दी।

आरबीआई गवर्नर ने उद्योग मंडल फिक्की (फेडरेशन आफ इंडियन चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री और भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के संयुक्त रूप से आयोजित सालाना एफआई-बीएसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, हमने हाल ही में व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने को ध्यान में रखकर सोच-विचार कर कुछ उपायों की भी घोषणा की है। ये उपाय एहतियाती हैं।'

उल्लेखनीय है आरबीआई ने पिछले सप्ताह बैंकों और गैर-बौंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए व्यक्तिगत और क्रेडिट कार्ड कर्ज जैसे असुरक्षित माने जाने वाले ऋण के नियमों को कड़ा किया था। संशोधित मानदंड में जोखिम भार में 25 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उच्च जोखिम भार का मतलब है कि व्यक्तिगत कर्ज के मामले में बैंकों को अलग से ज्यादा राशि का प्रावधान करना होगा। इससे बैंक किसी प्रकार के दबाव की स्थिति में उससे निपटने में ज्यादा सक्षम होंगे। साथ ही इस कदम से लोगों के लिये व्यक्तिगत कर्ज और क्रेडिट कार्ड के जरिये ऋण लेना महंगा होगा।

दास ने कहा कि आरबीआई ने आवास और वाहन खरीद के अलावा छोटे कारोबारियों द्वारा लिये जाने वाले कर्जो को इससे अलग रखा है। इसका कारण इसके जरिये जो वृद्धि हो रही है, उसे बनाए रखना है। उन्होंने यह भी कहा कि इस खंड में उन्हें दबाव बनने की स्थिति नहीं दिख रही। आरबीआई गवर्नर ने बैंकों से अपनी जोखिम प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने और व्यापार चक्र प्रतिकूल होने पर किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए अतिरिक्त उपाय करने को कहा।

दास ने कहा, 'हालांकि बैंक और एनबीएफसी अब अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन इसे बनाये रखने के लिए ठोस प्रयासों की जरूरत है। ऐसे अच्छे समय में, बैंकों और एनबीएफसी को इस बात पर विचार करने और आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है कि संभावित जोखिम कहाँ से उत्पन्न हो सकते हैं।' **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 23.11.2023)**

जीएसटी : अभी फेसलेस आकलन में लगेगा वक्त

माल एवं सेवा कर (जीएसंटी) के तहत कर रिटर्न के आकलन को लेकर करदाता और अधिकारी के आमने-सामने आये बिना जाँच व्यवस्था शुरू करने में कुछ समय लग सकता है। जीएसटी नेटवर्क के एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी।

करदाता और कर अधिकारी के आमने-सामने आये बिना (फेसलेस) आकलन की व्यवस्था सबसे पहले आयकर विभाग ने शुरू की थी। बाद में सीमा शुल्क विभाग ने इसे अपनाया। 'फेसलेस' आकलन जाँच में कर अधिकारी और करदाता आमने-सामने नहीं आते और इसमें दस्तावेज को भौतिक रूप से पेश करने की भी जरूरत नहीं होती। जीएसटी नेटवर्क के उपाध्यक्ष (सेवा) जगमाल सिंह ने यहाँ उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में कहा, 'हमें जीएसटी में 'फेसलेस' आकलन शुरू करने में कुछ समय लग सकता है। जीएसटी आकलन एक विशेष क्षेत्राधिकार अधिकारी या इकाई से जुड़ा हुआ है। इसे बदलने में कुछ समय लग सकता है। इसे प्रभावी बनाने के लिये नीतिगत स्तर पर कुछ बदलावों की भी जरूरत होगी।' जीएसटी एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया। इसमें उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्यवर्धित कर (वैट) और उपकर सहित 17 स्थानीय शुल्क शामिल किये गये हैं। **(साभार : राष्ट्रीय सहारा, 23.11.2023)**

कच्चे तेल में आत्मनिर्भर बन सकता है भारत

कच्चे तेल के आयात पर भारत की निर्भरता बढती जा रही है। वर्ष 2015 में आयोजित ऊर्जा संगम कार्यक्रम में वर्ष 2020 तक कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता 10 प्रतिशत तक घटाने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन हकीकत में आज भी भारत अपनी जरूरत का 87 प्रतिशत कच्चा तेल बाहर से आयात करता है।

वेदांत समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने केन्द्र सरकार के समक्ष कुछ प्रस्ताव रखे हैं, जिससे भारत अपने फील्ड से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा सकता है। इसमें एक प्रमुख सुझाव यह है कि सरकार को दूसरे उद्योगों की तरह तेल खोज और शोधन के लिए पीएलआइ या एक्सप्लोरेशन आधारित स्कीम की घोषणा करनी चाहिए और टैक्स के बोझ को कम करना चाहिए। वेदांत समूह ने पूर्व में निजी हाइड्रोकार्बन कंपनी केयर्न एनर्जी का अधिग्रहण किया था। यह भारत के घरेलु कच्चे तेल का 25 प्रतिशत उत्पादित करती है।

अग्रवाल ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर अपनी बात विस्तार से रखी। उन्होंने लिखा, 'अगर मैं आपसे पूछूँ कि एशिया का सबसे पहला तेल कुआँ कहाँ खोजा गया था तो आप पश्चिम एशिया का नाम लेंगे। जबकि सबसे पहला तेल कुंआ भारत में खोजा गया था। भारत के पास उसकी सालाना क्षमता से तीन गुना ज्यादा तेल भंडार है, लेकिन वह जरूरत का 90 प्रतिशत तेल आयात करता है। जब तक ढूंढेंगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं।'

उन्होंने कहा कि अभी सेक्टर की कंपनियों पर 60-70 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जाता है, जिसे घटाकर 30 प्रतिशत के स्तर पर लाया जाना चाहिए। **(साभार : दैनिक जागरण, 4.11.2023)**

बाजार नियामक सेबी देगा निवेशकों को बड़ी राहत,
अभी यह समय सीमा है छह माह

बिना लेनदेन वाले डीमैट खाते 12 महीने बाद निष्क्रिय होंगे

बाजार नियामक सेबी डीमैट खातों को निष्क्रिय घोषित करने की समय सीमा बढ़ाने की तैयारी में है। नए प्रस्ताव के तहत अब 12 महीने तक डीमैट खाते में किसी तरह का लेनदेन न होने पर उसे निष्क्रिय माना जाएगा। पहले यह समय अवधि छह माह थी। इस कदम से निवेशकों को बड़ी राहत मिलेगी।

बताया जा रहा है कि डीमैट खातों की डॉरमेसी (निष्क्रियता) पर सेबी के नए नियम जल्द लागू हो सकते हैं। सभी एक्सचेंज और डिपॉजिटरीज में एक समान नियम लागू होगें । मौजूदा नियमों के मुताबिक शेयर बाजार में सक्रिय डीमैट खाता या सक्रिय निवेशक उसे माना जाता है, जो सालभर में कम से कम एक बार शेयर खरीदने या बेचने के लिए सौदा डालता है।

ऐसे मामलों में माना जाएगा सक्रिय : नए प्रस्ताव के मुताबिक, 12 माह तक शेयर की खरीद-बिक्री न होने पर डीमैट खाता निष्क्रिय माना जाएगा। हालांकि, म्यूचुअल फंड एसआईपी, राइट्स इश्यू आदि की अर्जी दी गई, तो खाता सक्रिय माना जाएगा। बोनस, स्टॉक स्प्लिट आदि मान्य नहीं होंगे। **(साभार : हिन्दुस्तान, 8.11.2023)**

करदाता ध्यान दें

समय सीमा का ध्यान रखें

निर्धारण वर्ष 2021-20ध22 के लिए 31 मार्च, 2024 तक अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करें

अपडेटेड आई. टी. आर कब फाईल करें?

- जिन करदाताओं ने मूल या संशोधित रिटर्न दाखिल नहीं की है
- जो करदाता आय को सही ढंग से घोषित न किए जाने पर मूल विवरणी को संशोधित करना चाहते हैं
- आय का गलत शीर्ष चुना गया या कर का गलत दर पर भुगतान किया गया है
- अग्रेनीत हानि या असमायोजित मूल्यहास में कमी अपेक्षित है
- MAT/AMT क्रेडिट में कमी अपेक्षित है

31.03.2024 तक अपडेटेड आई.टी.आर. दाखिल करें	अतिरिक आयकर देय
निर्धारण वर्ष 2021-21 के लिए	आयकर अधिनियम की घारा 140 B (3) के प्रावधान अनुसार कर और ब्याज के कुल का 50% देय
निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए	आयकर अधिनियम की घारा 140 B (3) के प्रावधान अनुसार कर और ब्याज के कुल का 25% देय

अधिक जानकारी के लिए आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139 (8।) एवं 140 B (3) का संदर्भ लें

आयकर विभाग

केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.Incometox.gov.in पर जाएँ

(साभार : प्रभात खबर, 23.11.2023)

दूसरी तिमाही में प्रतिशत रहेगी विकास दर : एसबीआइ

मैन्यूफैक्चरिंग, सर्विस व निर्यात सेक्टर के बेहतर प्रदर्शन को देखते हुए एसबीआइ ने चालू वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 6.9-7.1 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान लगाया है। यह आरबीआइ के 6.5 प्रतिशत के अनुमान से अधिक है। सरकार 30 नवम्बर को दूसरी तिमाही के आंकड़े जारी करेगी। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में विकास दर 7.8 प्रतिशत रही थी। एसबीआइ ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सुस्ती को लेकर चिंता भी जाहिर की है, लेकिन यह भी कहा है अगले साल नवम्बर में अमेरिका में चुनाव है। उससे पहले अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सुस्ती को वहाँ की सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। अमेरिका में तेजी आने से भारतीय व्यापार को फायदा मिलेगा।

जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि कृषि के बेहतर प्रदर्शन के साथ केन्द्र व राज्य दोनों ही सरकार की तरफ से पूंजीगत खर्च से अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन मिला है। केन्द्र अपने बजटीय प्रविधान का 49 प्रतिशत तो राज्य 32 प्रतिशत पूंजीगत व्यय का हिस्सा खर्च कर चुके हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनियों का वित्तीय प्रदर्शन पहली तिमाही की तरह ही मजबूत दिख रहा है। सर्विस निर्यात की मदद से कुल निर्यात में भी सकारात्मक बढ़ोतरी है। इससे भी दूसरी तिमाही के जीडीपी विकास को समर्थन मिलता दिख रहा है।

(साभार : दैनिक जागरण, 23.11.2023)

बिहार में कमाई के मुकाबले पर्सनल लोन सर्वाधिक बढ़ा, मप्र और राजस्थान इस मामले में सबसे बेहतर स्थिति में हैं

देश की करीब 90% आबादी वाले 14 बड़े राज्यों में कमाई के मुकाबले पर्सनल लोन पिछले 3 साल में दोगुने से भी ज्यादा बढ़ा है। इसमें बिहार टॉप पर है, जहाँ 2020 से 2023 के बीच प्रति व्यक्ति आय 25% ही बढ़ी है, लेकिन इसी दौरान पर्सनल लोन में 85% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं, 14 राज्यों में मप्र और राजस्थान इस मामले में सबसे बेहतर स्थिति में हैं। यानी कमाई और कर्ज में 60% का सबसे बड़ा अंतर है। मप्र में पिछले 3 साल में प्रति व्यक्ति आय 34% व पर्सनल लोन 55% बढ़ा है, यानी दोनों के बीच 21% का सबसे कम अंतर है। इसी तरह राजस्थान में यह अंतर 27% है। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर राज्यों ने पिछले तीन सालों के दौरान जितना पर्सनल लोन लिया है, वह अब उसे कैसे चुकाएंगे, इसको लेकर चिंता जताई जा रही है। पिछले दिनों आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने पर्सनल लोन देने के नियमों को सख्त बनाने के निर्देश भी दिए थे।

राज्यवार स्थिति

राज्य	आय बढ़ी	लोन बढ़ा	अंतर
बिहार	24.71%	85.0%	60.29%
पंजाब	15.92%	58.67%	42.75%
झारखण्ड	28.04%	69.5%	41.46%
हरियाणा	25.57%	63.9%	38.33%
यूपी	35.52%	65.4%	29.88%
गुजरात	32.81%	60.96%	28.15%
राजस्थान	34.68%	61.23%	26.55%
मध्य प्रदेश	34.02%	55.32%	21.30%

(साभार : दैनिक भास्कर, 23.11.2023)

टैक्स सरलीकरण से काफी आसान हुई रिफंड प्रक्रिया

• 89 प्रतिशत लोगों ने कहा, पहले की तुलना में रिफंड में लग रहा है कम समय • 1.77 लाख करोड़ रुपये के रिफंड जारी हुए अप्रैल से लेकर नवम्बर तक

डिजिटल पद्धति अपनाने और सरलीकरण से टैक्सपेयर्स का भरोसा रिफंड प्रक्रिया पर काफी बढ़ गया है। औद्योगिक संगठन सीआइआइ की तरफ से जारी सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक, 87 प्रतिशत व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स तो 89 प्रतिशत कंपनियां पहले के मुकाबले रिफंड प्रक्रिया को अब ज्यादा आसान मान रहे हैं। सीआइआइ ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को भी रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक, अब रिफंड की वास्तविक स्थिति की जानकारी लेना पहले की तुलना में काफी आसान हो गया है। सर्वे में 84 प्रतिशत व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स तो 77 प्रतिशत कंपनियाँ इस पक्ष में दिखी। सर्वे में 53.2 प्रतिशत लोगों ने कहा कि अब रिफंड मिलने में एक माह से भी कम का समय लगता है, जबकि 43.8 प्रतिशत का मानना है कि रिफंड मिलने में एक से तीन माह का समय लगता है। सिर्फ तीन प्रतिशत यह मानते हैं कि रिफंड मिलने में तीन महीने से अधिक का समय लग रहा है। कंपनियों का भी कमोबेश ऐसा ही मत दिखा। सर्वे के मुताबिक, आयकर विभाग के प्रति भी लोगों में भरोसा बढ़ा है। 82.8 प्रतिशत व्यक्तिगत टैक्सपेयर्स व 84.5 प्रतिशत कंपनियाँ इस पक्ष में दिखे। सर्वे के दौरान मुख्य रूप से पिछले पाँच साल में आयकर रिफंड प्रक्रिया में हुए सुधार को लेकर लोगों से सवाल किए गए थे। सीआइआइ ने यह सर्वे इस साल अक्टूबर में 3531 लोगों के साथ किया। विभाग भी रिफंड प्रक्रिया में लगातार सुधार का दावा कर रहा है। इस साल अप्रैल से नवम्बर तक 1.77 लाख करोड़ के रिफंड जारी हो चुके हैं।

(साभार : दैनिक जागरण, 23.11.2023)

EDITORIAL BOARD

Editor
PASHUPATI NATH PANDEY
Secretary General

Convenor
SUBODH KUMAR JAIN
Library & Bulletin Sub-Committee

Printer & Publisher
A. K. DUBEY
Dy. Secretary

Khemchand Chaudhary Marg, Patna - 800 001 • Ph. : 0612-2677605, 2677505, 2677635
E-mail : bccpatna@gmail.com • Website : www.biharchamber.org

Designed & Printed by : Sharada Enterprises, Ph. : 0612-2667296